"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."




पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 जून 2016—ज्येष्ठ 20, शक 1938

विषय—सूची



# भाग १

## राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर, 2015

क्रमांक एफ-9-21/2011/1-8.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री मोरिस तुशार नन्दी, (भा.व.से.-1991) मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर की सेवाएं, वन विभाग से लेते हुए पर्यटन विभाग को सौंपता है तथा उन्हें अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, छ.ग. पर्यटन मंडल के पद पर पदस्थ करता है.

श्री मोरिस तुशार नन्दी, (भा.व.से.-1991) द्वारा प्रबंध संचालक, छ.ग. पर्यटन मंडल के पद का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री संतोष कुमार मिश्रा, भा.प्र.से. (2000), विशेष सचिव, संस्कृति एवं पर्यटन, बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध संचालक, छ.ग. पर्यटन मंडल केवल प्रबंध संचालक, छ.ग. पर्यटन मंडल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे. शेष प्रभार यथावत् रहेगा.



संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

नया रायपुर, दिनांक 29 फरवरी 2016

क्रमांक 4107/2015/एक/8.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री अमिताभ पण्डा, (भारतीय सांख्यिकी सेवा), को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सदस्य सचिव, छ.ग. राज्य योजना आयोग, रायपुर के पद पर पदस्थ करते हुए उन्हें आयुक्त सह संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

2. श्री देवाशीष दास, (भा.व.से.-1987), सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा सदस्य सचिव, छ.ग. राज्य योजना आयोग की सेवाएं वन विभाग को वापस लौटायी जाती हैं.

3. श्री आशीष कुमार भट्ट (भा.व.से.-1988) सचिव, छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपता है.

नया रायपुर, दिनांक 19 मई 2016

क्रमांक ई-1-01/2016/एक/2.—राज्य शासन द्वारा श्री डोमन सिंह, भा.प्र.से. (2009) अपर कलेक्टर, रायपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, राजभवन, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

2. श्री एन. के. भट्टर, रा.प्र.से., उपायुक्त (राजस्व) रायपुर संभाग, रायपुर के मतगणना जनरल आब्जर्वर की ड्यूटी से लौटने के पश्चात श्री डोमन सिंह, संयुक्त सचिव, राजभवन, रायपुर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जावेंगे.

नया रायपुर, दिनांक 23 मई 2016

क्रमांक ई-1-1/2016/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अविनाश चंपावत, भा.प्र.से. (2003), संचालक, उद्यानिकी, पदेन संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रबंध संचालक, छ.ग. मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन तथा मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं के पद पर पदस्थ करते हुए उन्हें प्रबंध संचालक, छ.ग. मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन तथा मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

2. श्री अविनाश चंपावत द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम 9 के तहत आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

नया रायपुर, दिनांक 23 मई 2016

क्रमांक ई-1-1/2016/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एन. के. असवाल, भा.प्र.से. (1983) अपर मुख्य सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग तथा योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ महानिदेशक, छ.ग. प्रशासन अकादमी का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**विवेक ढाँड,** मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 4 मई 2016

क्रमांक-बी-1-20/2015/4/एक.—राज्य शासन, एतद्द्वारा निम्नलिखित तहसीलदारों/अधीक्षक, भू-अभिलेख को राज्य प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रुपये 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन 5400 में पदोन्नत कर, उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक नियुक्त करता है. पदोन्नति उपरांत उनकी पदस्थापना नीचे दर्शित सूची में उनके नाम के सामने कॉलम (4) में दर्शाये अनुसार की जाती है :—

| क्र. (1) | अधिकारी का नाम (2) | वर्तमान पदस्थापना (3) | नवीन पदस्थापना (4) |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री मनहरण जंघेल | तहसीलदार, जिला बेमेतरा | डिप्टी कलेक्टर, जिला-रायपुर |
| 2. | श्री सदाराम ठाकुर | तहसीलदार, जिला बालोद | डिप्टी कलेक्टर, जिला-नारायणपुर |
| 3. | श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा | तहसीलदार, जिला धमतरी | डिप्टी कलेक्टर, जिला-गरियाबंद |
| 4. | श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव | तहसीलदार, जिला-बालोद | अवर सचिव, छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर. |
| 5. | कु. ज्योति गुगेल | तहसीलदार, छ.ग. राज्य औद्योगिक विकास निगम, रायपुर. | माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर में उप-सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर. |
| 6. | श्री खेमलाल वर्मा | तहसीलदार, जिला-बस्तर | डिप्टी कलेक्टर, जिला-कोण्डागांव |
| 7. | श्री अतुल विश्वकर्मा | तहसीलदार, जिला-महासमुंद | डिप्टी कलेक्टर, जिला राजनांदगांव |
| 8. | श्री कैलाश प्रसाद वर्मा | तहसीलदार, जिला-रायपुर | डिप्टी कलेक्टर, जिला-दुर्ग |
| 9. | सुश्री सिल्ली थामस | तहसीलदार, जिला-बेमेतरा | डिप्टी कलेक्टर, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा. |
| 10. | श्री हेमंत कुमार मत्स्यपाल | तहसीलदार, जिला-धमतरी | लोक स्वास्थ्य एवं परि. कल्याण के अधीनस्थ संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं में प्रतिनियुक्ति पर. |
| 11. | कु. पूनम सोनी | तहसीलदार, जिला-दुर्ग | सहायक संचालक, भू-अभिलेख कार्या. संचालक, भू-अभिलेख, रायपुर. |
| 12. | श्री प्रकाशचंद्र कोरी | तहसीलदार, जिला-बिलासपुर | डिप्टी कलेक्टर, जिला-रायगढ़ |
| 13. | श्री दिलेराम डाहिरे | तहसीलदार, जिला-जशपुर | डिप्टी कलेक्टर, जिला बिलासपुर |
| 14. | श्री युगल किशोर उर्वशा | तहसीलदार, जिला-बिलासपुर | डिप्टी कलेक्टर, जिला-जांजगीर-चांपा |
| 15. | श्री हरिवंश सिंह मिरी | तहसीलदार, जिला-दुर्ग | डिप्टी कलेक्टर, जिला-रायपुर |
| 16. | श्री रामप्रसाद आंचला | तहसीलदार, जिला-बालोद | डिप्टी कलेक्टर, जिला-बेमेतरा |
| 17. | श्री किरोड़ीमल अग्रवाल | प्रभारी अधिकारी, जनशिकायत, मंत्रालय नया रायपुर. | विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, जनशिकायत निवारण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर. |
| 18. | श्री मनोज कुमार केसरिया | अधीक्षक, भू-अभिलेख, कार्यालय संचालक, भू-अभिलेख, रायपुर. | डिप्टी कलेक्टर, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा |
| 19. | श्री आनंदराम चतुर्गोष्ठी | अधीक्षक, भू-अभिलेख, कार्यालय कलेक्टर, भू-अभिलेख, बालोद. | डिप्टी कलेक्टर, जिला-कबीरधाम |
| 20. | श्री अजीत पुजारी | अधीक्षक, भू-अभिलेख, कार्यालय कलेक्टर, भू-अभिलेख, बिलासपुर. | डिप्टी कलेक्टर, जिला-बस्तर. |

2. उपर्युक्त पदोन्नतियां दो वर्ष की स्थानापन्नता अवधि के लिए होगी.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधानों का पालन किया गया है.

नया रायपुर, दिनांक 23 मई 2016

क्रमांक बी-1-23/2016/एक/4.—राज्य शासन, एतद्द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान (वेतन बैण्ड 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन 7600) में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथि से वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान (वेतन बैण्ड 37400-67000 एवं ग्रेड वेतन 8700) में नियुक्त करता है :—

| स. क्र. (1) | अधिकारी का नाम (2) | वर्तमान पदस्थापना (3) | वरिष्ठ प्रवर श्रेणी प्रदान करने की तिथि (4) |
|---|---|---|---|
| 1. | श्रीमती पुष्पा साहू | संयुक्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, रायपुर | 01-05-2016 |
| 2. | श्री संजय अग्रवाल | अपर कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव | 01-05-2016 |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एम. आर. ठाकुर,** अवर सचिव.

## विधि और विधायी कार्य विभाग
### मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 मई 2016

क्रमांक 4715/21-ब/छ.ग./2015.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री संतोष कुमार गुप्ता, अधिवक्ता को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए शासकीय अभिभाषक, जांजगीर-चांपा तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये शासन की ओर से पैरवी करने के लिए लोक अभियोजक जांजगीर-चांपा के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर (या 62 वर्ष जो भी पहले हो) नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**विजय कुमार होता,** अतिरिक्त सचिव.

## गृह (जेल) विभाग
### मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 मई 2016

क्रमांक एफ 3-11/तीन-जेल/2015.—कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का सं. 9) की धारा 3 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा उप जेल रामानुजगंज का उन्नयन करती है और उसे जिला जेल के समकक्ष अधिसूचित करती है.

No. F 3-11/Three-Jail/2015.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) one of Section 3 read with Section 59 of the Prisons Act, 1894 (No. 9 of 1894), the State Government, hereby, upgrades Sub Jail Ramanujganj and notifies it as equivalent to District Jail.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सुनिल कुमार रंजन,** संयुक्त सचिव.

# कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
## मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 मई 2016

क्रमांक 9283/एफ-08/89/PMFBY/2016/14-2.—भारत सरकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 13015/03/2016 Credit II नई दिल्ली, दिनांक 23-02-2016 द्वारा दिये गये प्रशासनिक अनुमोदन एवं योजना क्रियान्वयन के जारी दिशा-निर्देशों तथा दिनांक 09-05-2016 को अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के प्रकाश में राज्य शासन एतद्द्वारा खरीफ मौसम 2016 में प्रदेश में "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" राज्य के समस्त 27 जिलों में लागू करती है. योजनान्तर्गत विवरण निम्नानुसार है :—

1. **अधिसूचित फसलें एवं बीमा इकाई :—**

| | | |
|---|---|---|
| मुख्य फसल :— | धान सिंचित, धान असिंचित | बीमा इकाई-ग्राम पंचायत |
| अन्य फसल :— | मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर (अरहर) मूंग, उड़द | बीमा इकाई-ग्राम पंचायत |

2. **अधिसूचित क्षेत्र :—** छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 27 जिले में योजना क्रियान्वित की जायेगी. अधिसूचित जिलों, तहसीलों, राजस्व निरीक्षक मंडल, ग्राम पंचायत एवं इन क्षेत्रों में सम्मिलित अधिसूचित फसल का विवरण परिशिष्ट-1 में है.

3. **शामिल किये जाने वाले कृषक :—** इस योजना में ऋणी, गैर ऋणी, काश्तकार एवं बटाईदार कृषक भाग ले सकते हैं.

(क) **अनिवार्य आधार पर :—** ऐसी सभी किसान जो अधिसूचित फसल उगा रहे हो और वित्तीय संस्थानों से जिनकी मौसमी कृषि फसल ऋण की सीमा खरीफ 2016 हेतु 01-04-2016 से 31-07-2016 तक स्वीकृत/नवीनीकृत की गई हो.

(ख) **स्वैच्छिक आधार पर :—** अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी किसान जो इस योजना में शामिल होने की इच्छा रखते हैं.

4. **योजना क्रियान्वयन हेतु चयनित बीमा कम्पनी :—** योजना क्रियान्वयन के दिशा-निर्देश में उल्लेखित विधि के अनुरूप राज्य के सभी 27 जिलों को 05 कलस्टर में बाटा जाकर प्रत्येक कलस्टर हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलों हेतु दरें प्राप्त करने मुहरबंद वित्तीय निविदा अल्पकालीन निविदा के माध्यम से आमंत्रित की गई.

प्राप्त निविदाओं में से निर्धारित रीति से गणना उपरांत कलस्टरवार न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाली कम्पनी (एल-1) का निर्धारण किया गया, जिसके आधार पर योजना क्रियान्वयन करने वाली बीमा कम्पनी का कलस्टरवार (इसके अंतर्गत समाहित जिलों सहित) विवरण निम्नानुसार है :—

| क्र. | कलस्टर क्र. | जिला | क्रियान्वयन हेतु चयनित बीमा कंपनी एल-1 |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | 1 | नारायणपुर, कांकेर, कबीरधाम, रायगढ़, दुर्ग. | इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड |
| 2. | 2 | सुकमा, मुंगेली, बालोद, बेमेतरा, सूरजपुर, कोरबा. | रिलायन्स जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड |
| 3. | 3 | कोंडागांव, बिलासपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बलरामपुर, कोरिया. | इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड |
| 4. | 4 | बीजापुर, महासमुंद, धमतरी, जशपुर, रायपुर, बस्तर. | इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड |
| 5. | 5 | जांजगीर, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, सरगुजा | इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड |

5. **जोखिम एवं अपवाद :—** भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिये निर्गत मार्गदर्शिका में वर्णित सभी प्रकार के जोखिमों, जो निम्नानुसार है, हेतु बीमा आवरण उपलब्ध होगा—

(क) वर्षा में कमी अथवा विपरीत मौसमीय परिस्थितियों से बुवाई नहीं होने की स्थिति.

(ख) खड़ी फसल (बुवाई से कटाई) में सूखा, शुष्क अवधि (Dry Spell), बाढ़, जलाप्लावन, कीट एवं व्याधी, भू-स्खलन, प्राकृतिक आग एवं बिजली का गिरना, तूफान, ओला, चक्रवात, टाइफून, समुद्री तूफान, हरीकेन एवं टोरनेड़ो से होने वाले नुकसान के लिये क्षेत्र आधार पर व्यापक जोखिम बीमा.

(ग) फसल कटाई उपरांत सूखने के लिये खेत में काटकर फैलाकर छोड़ी गई फसल को चक्रवात, चक्रवाती वर्षा एवं असामयिक वर्षा से होने वाले नुकसान के लिये कटाई उपरांत अधिकतम 02 सप्ताह (14 दिन) की अवधि के लिये.

(घ) अधिसूचित क्षेत्र में ओलावृष्टि, भू-स्खलन एवं जलाप्लावन से व्यक्तिगत आधार पर हुए नुकसान.

युद्ध एवं आणविक खतरों, शरारतपूर्ण क्षति एवं अन्य रोके जा सकने वाले जोखिम से होने वाली क्षति को इससे बाहर रखा जाएगा.

6. **बीमित राशि :—**
**ऋणी किसान हेतु :—** प्रत्येक जिले में अधिसूचित फसलों हेतु निर्धारित प्रति हेक्टेयर Scale of Finance के बराबर. (संलग्न परिशिष्ट-2)
**गैर ऋणी किसान हेतु :—** प्रत्येक जिले में अधिसूचित फसलों हेतु निर्धारित प्रति हेक्टेयर Scale of Finance के बराबर (संलग्न परिशिष्ट-2)

7. **प्रीमियम की गणना हेतु अनुदान :—** वास्तविक प्रीमियम का अधिकतम 2 प्रतिशत ही कृषक द्वारा वहन किया जायेगा, शेष राशि 50-50 प्रतिशत के अनुपात में क्रमश: केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा देय होगा. क्लस्टरवार/जिलेवार/फसलवार प्रीमियम विवरण परिशिष्ट-2 पर है. ऐसे जिले जिनमें अधिसूचित फसलों पर कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि 2 प्रतिशत से कम है, का जिलेवार/फसलवार विवरण परिशिष्ट-3 पर है.

8. **क्षति स्तर एवं थ्रेस होल्ड यील्ड :—** राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार धान सिंचित फसल में 90 प्रतिशत, धान असिंचित एवं सोयाबीन फसल हेतु 80 प्रतिशत तथा शेष मक्का, मूंगफली, तुअर, मूंग एवं उड़द फसल के लिये 70 प्रतिशत क्षति स्तर का निर्धारण किया गया है. जिलेवार/फसलवार क्षति स्तर पर थ्रेस होल्ड उपज की जानकारी परिशिष्ट-4 पर है.

9. **योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यों हेतु समय-सीमा का निर्धारण :—**

| क्र. | गतिविधि | समय सीमा |
|---|---|---|
| 1. | अनिवार्य रूप से बीमित ऋणी कृषकों के लिये ऋण स्वीकृति/नवीनीकरण की अवधि. | अप्रैल-जुलाई |
| 2. | ऋणी एवं अऋणी कृषकों से प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु अंतिम तिथि. | 31 जुलाई |
| 3. | बैंकों/कंपनियों के अधिकृत प्रतिनिधियों से संबंधित इन्श्योरेंस कम्पनी को संकलित प्रस्ताव भेजने की तिथि. | ऋणी कृषकों के लिये 15 कार्य दिवस के अंदर एवं अऋणी कृषकों के लिये 7 कार्य दिवस के अंदर |

10. **दावा गणना :—** दावा गणना आयुक्त भू अभिलेख छ.ग. रायपुर द्वारा अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसलों के लिए फसल कटाई प्रयोग पर आधारित उपज दर के आंकड़ों से की जायेगी. शासन द्वारा या अन्य संस्थाओं द्वारा आनावारी, सूखा, बाढ़ अकाल घोषित होने पर दावा देय नहीं है. बीमा इकाई में मुख्य अधिसूचित फसल हेतु 04 एवं अन्य फसलों हेतु 08 फसल कटाई प्रयोग किये जाने होंगे.

11. वित्तीय संस्थाएं समस्त ऋणी तथा अऋणी आच्छादित कृषकों की सूची जिसमें-कृषक का नाम, पिता/पति का नाम, ग्राम, ग्राम पंचायत, प्रखंड, बैंक खाता संख्या, कृषक श्रेणी-लघु एवं सीमांत/अन्य महिला/पुरुष, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य, आच्छादित रकबा, बीमित राशि एवं किसान द्वारा देय प्रीमियम का विवरण निश्चित प्रपत्र में घोषणा पत्र के साथ बीमा कम्पनी को हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में उपलब्ध करायेगी तथा कृषकवार विवरण फार्मर पोर्टल पर बीमा लेने की अंतिम तिथि से 15 दिनों के अंदर अपलोड करेंगी. साथ ही राज्य सरकार एवं कार्यान्वयक अभिकरण सभी जानकारियों एवं आंकड़ों को web portal-www.agri-insurance.cg.gov.in में upload करेगी.

12. **बीमा प्रस्ताव एवं घोषणा पत्र :—** सभी संबंधित सहकारी बैंकों/वाणिज्यिक बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा माहवार/फसलवार अधिसूचित क्षेत्रवार बीमा प्रस्ताव एवं घोषणा पत्र की दो प्रति तैयार कर एक प्रति बीमा कंपनी को तथा एक प्रति संबंधित कृषक को प्रदान करेंगे.

13. **क्षति का मूल्यांकन/निर्धारण/भुगतान की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियां :—** योजना के प्रावधानों के अनुसार फसल की क्षति का मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा—

(क) **बुआई नहीं हो पाने की स्थिति/बुवाई का फेल हो जाना ( Prevented Sowing/Sowing Failure )—**यह आवरण केवल मुख्य फसल धान के लिए ही लागू होगा. फसल बोआई अवधि के दौरान अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि एवं अन्य विपरित मौसम के कारण अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित मुख्य फसल धान सिंचित/धान असिंचित की 75 प्रतिशत से अधिक बुवाई/रोपा नहीं हो पाने की स्थिति में बीमा राशि का अधिकतम 25 प्रतिशत तक दावा भुगतान किया जा सकेगा. इस घटक के अंतर्गत फसलवार निम्नानुसार अंतिम समय-सीमा होगी—

| | | |
|---|---|---|
| बोता धान में बोनी | — | 10 अगस्त |
| धान की रोपाई | — | 15 अगस्त |

उपरोक्त समयावधि में यदि किसी अधिसूचित बीमा इकाई में अधिसूचित प्रमुख फसल के बोवाई किये जाने वाले क्षेत्रफल में से 75 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल में बोवाई नहीं होती है ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के निर्धारण के लिए मौसम के आंकड़े तथा प्रदेश में फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध कराने हेतु नोडल एजेंसी राजस्व विभाग के आंकड़ों को आधार माना जायेगा, तथा राज्य शासन द्वारा ऐसे प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना जारी की जायेगी जिसके आधार पर अधिसूचित क्षेत्र के बीमित कृषकों को अधिकतम 25 प्रतिशत तक दावा भुगतान किया जावेगा. दावा भुगतान के पश्चात् संबंधित इकाई क्षेत्र में किसान उपज आधारित दावा के लिए योग्य नहीं होंगे, और न ही इन क्षेत्रों में प्रभावित अधिसूचित फसल के लिए कोई नया पंजीयन ही किया जायेगा.

(ख) **फसल की अवधि में नुकसान होने की स्थिति में क्षति का निर्धारण.—** फसल की अवधि में प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, शुष्क अवधि आदि के कारण प्रभावित फसल की अनुमानित उपज, थ्रेस होल्ड उपज से 50 प्रतिशत से कम आना संभावित हो तो संभावित क्षतिपूर्ति का 25 प्रतिशत तक दावा का भुगतान खरीफ 2016 मौसम के दौरान ही किया जा सकता है. यह क्षतिपूर्ति भुगतान की राशि अंतिम उपज आधारित क्षतिपूर्ति राशि के साथ समायोजित की जायेगी. यदि उक्त स्थिति सामान्य फसल कटाई प्रारंभ अवधि 01 अक्टूबर, 2016 के 15 दिनों के पूर्व (अर्थात् 15 सितंबर, 2016 से 01 अक्टूबर, 2016) होती है तो उपरोक्त शर्त लागू नहीं होगी. इस तरह की क्षतिपूर्ति का भुगतान संबंधित राज्य शासन एवं बीमा कंपनी मिलकर भारत सरकार की सहमति से निर्धारित करेगी. इस तरह की क्षतिपूर्ति के निर्धारण के लिए मौसम के आंकड़े, सैटेलाईट इमेज एवं जिला कृषि/राजस्व पदाधिकारी द्वारा प्रेषित फसल अवस्था आंकड़े को आधार माना जाएगा. इस संबंध में दैनिक समाचार पत्रों के विवरणों पर भी विचार किया जावेगा. इस घटक के अंतर्गत दावा भुगतान के पात्र वे कृषक ही होंगे जिनके प्रीमियम आपदा क्षेत्र निर्धारण संबंधी शासन द्वारा जारी आदेश/अधिसूचना से पूर्व जमा कर लिये गये हों अथवा उन्हें स्वीकृत ऋण से काट लिये गये हों. राज्य शासन द्वारा प्रतिकूल मौसमीय आपदा घटित होने के 07 दिवस के भीतर प्रभावित इकाईयों की सूची एवं विवरण तथा इन्हें इस घटक के अंतर्गत पात्रता होने संबंधी आदेश पारित किया जायेगा तथा संयुक्त समिति द्वारा प्रतिकूल मौसमीय आपदा घटित होने के 15 दिवस के भीतर प्रतिवेदन दिया जायेगा.

(ग) **स्थानीय आपदाओं के मामलें में क्षति का आंकलन :—** मार्गदर्शिका के पैरा XV के अनुसार स्थानीय जोखिमों यथा-ओलावृष्टि, भूस्खलन एवं जलप्लावन के मामलों में यदि किसी प्रभावित इकाई में 25 प्रतिशत से ज्यादा इकाई क्षेत्र में हानि होती है तो सैम्पल जांच कर उस इकाई में सभी बीमित कृषकों को क्षति भुगतान की जाएगी. यदि किसी प्रभावित इकाई में 25 प्रतिशत से कम इकाई क्षेत्र में हानि होती है तो उस सभी प्रभावित बीमित किसानों के नुकसान की जांच की जाएगी जो कृषक इसकी सूचना क्रियान्वयन बीमा कंपनी को सीधे अथवा स्थानीय राजस्व/कृषि अधिकारियों, संबंधित बैंक अथवा

जिला कृषि पदाधिकारी/अनुविभागीय दंडाधिकारी/तहसीलदार को निर्धारित समय-सीमा 48 घंटे के भीतर लिखित के माध्यम से बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित सूचित करेंगे. हानि संबंधी सूचना मिलने पर क्रियान्वयन बीमा कंपनी फसल की हानि का अनुमान लगाने के लिए क्षेत्र में हानि निर्धारक (Loss Assessor) को भेजेगी तथा मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों के अनुसार Pay out निर्धारित किया जाएगा. विकासखंड स्तरीय, जिला स्तरीय कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारी फसल की हानि की मात्रा का अनुमान लगाने में कियान्वयन बीमा कंपनी की उपयुक्त सहायता करेंगे. इस घटक के अंतर्गत अधिकतम देय सहायता प्रभावित क्षेत्र में बोनी हेतु उपयोग किये गये आदान के समतुल्य होगी.

(घ) **फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में क्षति का निर्धारण :—** फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई प्रमुख फसल धान सिंचित/धान असिंचित को प्राकृतिक आपदा यथा चक्रवात, चक्रवाती वर्षा एवं ओले से 25 प्रतिशत से अधिक अधिसूचित क्षेत्र में फसलों को क्षति होती है तो ऐसी अवस्था में जांचकर सभी बीमित कृषकों को क्षति का भुगतान किया जावेगा. यदि 25 प्रतिशत से कम अधिसूचित क्षेत्र में हानि होती है तो उन सभी प्रभावित बीमित कृषकों के नुकसान की जांच की जायेगी जो कृषक इसकी सूचना क्रियान्वयन बीमा कंपनी को सीधे अथवा स्थानीय राजस्व/कृषि अधिकारियों, संबंधित बैंक अथवा जिला कृषि पदाधिकारी/अनुविभागीय दंडाधिकारी/तहसीलदार को निर्धारित समय-सीमा 48 घंटे के भीतर लिखित के माध्यम से बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित सूचित करेंगे. इस व्यवस्था के अंतर्गत क्राप कैलेण्डर (संलग्न परिशिष्ट-5) में अंकित फसल कटाई की निर्धारित अंतिम तिथि से यदि कटी हुई अधिसूचित फसल, अधिकतम 14 दिनों तक सूखने के लिए फैलाकर रखी जाती है तो इसी अवधि तक के लिए ही उपरोक्त वर्णित कारणों से होने वाली क्षति का आंकलन किया जाएगा. हानि संबंधी सूचना मिलने पर क्रियान्वयन बीमा कंपनी फसल की हानि का अनुमान लगाने के लिए क्षेत्र में हानि निर्धारक (Loss Assessor) को भेजेगी तथा मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों के अनुसार Pay out निर्धारित किया जाएगा. विकासखण्ड स्तरीय, जिला स्तरीय कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारी एवं कृषक फसल की हानि की मात्रा का अनुमान लगाने में क्रियान्वयन बीमा कंपनी की उपयुक्त सहायता करेंगे. प्रॉक्सी संकेतों, स्थानीय मिडिया रिपोर्टों, कृषि/राजस्व विभाग के रिपोर्टों को क्षति का आंकलन का आधार बनाया जाएगा.

(ङ) **फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति का अनुमान :—** राज्य शासन फसल पैदावार के अनुमान के लिए अधिसूचित बीमा इकाई में प्रमुख फसल धान सिंचित एवं असिंचित के लिए 04 प्रयोग तथा अन्य फसल में 08 फसल कटाई प्रयोग आयोजित करेगी. इस तरह फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर प्राप्त वास्तविक उपज के आधार पर क्षति की गणना की जायेगी.

$$\text{देय क्षतिपूर्ति} = \frac{\text{थ्रेसहोल्ड उपज} - \text{वास्तविक उपज}}{\text{थ्रेसहोल्ड उपज}} \times \text{किसान की बीमित राशि}$$

छ.ग. शासन द्वारा या अन्य संस्थाओं द्वारा अन्य प्रयोजन हेतु किये जा रहे फसल कटाई प्रयोग के परिणाम (अनावारी, सूखाग्रस्त घोषित करने आदि के उद्देश्य से पृथक से क्रियान्वित किये जाने वाले फसल कटाई प्रयोग) इस योजनान्तर्गत दावा भुगतान की गणना में मान्य नहीं होंगे. यथासंभव इसी योजना के अंतर्गत संपादित कराये जाने वाले फसल कटाई प्रयोग की श्रृंखला का ही उपयोग फसल बीमा की गणना के साथ ही फसल उत्पादकता के आंकड़े प्राप्त करने में भी किया जायेगा.

14. **योजना के अनुसार क्षतिपूर्ति आंकलन हेतु संयुक्त समिति का गठन :—** योजनानुसार फसल की अवधि में नुकसान होने की स्थिति में क्षति का निर्धारण, स्थानीय आपदाओं की स्थिति में व्यक्तिगत क्षति का निर्धारण एवं फसल कटाई के उपरांत खेत में सूखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में व्यक्तिगत नुकसान होने की स्थिति में क्षति का निर्धारण के आंकलन हेतु निम्नानुसार संयुक्त समिति का गठन किया जायेगा ताकि किसानों को उचित एवं ससमय क्षतिपूर्ति दी जा सके—

(क) **फसल अवधि में हुए नुकसान के आंकलन के लिए संयुक्त समिति—** राज्य शासन के जिलावार नामित पदाधिकारी/जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिले के उप संचालक कृषि, जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी एवं संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय दंडाधिकारी/तहसीलदार के साथ क्रियान्वयन बीमा कंपनी द्वारा जिला स्तर पर नामांकित प्रतिनिधि.

(ख) **फसल कटाई के उपरांत खेत में सूखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में व्यक्तिगत नुकसान के आंकलन के लिए संयुक्त समिति—** विकासखंड से संबंधित तहसीलदार की अध्यक्षता में विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के साथ क्रियान्वयन बीमा कंपनी द्वारा विकासखंड स्तर पर नामांकित प्रतिनिधि एवं संबधित कृषक.

(ग) स्थानीय क्षति के आंकलन के लिए अधिसूचित क्षेत्र के राजस्व एवं कृषि अधिकारी, क्रियान्वयन बीमा कंपनी द्वारा नामांकित प्रतिनिधि एवं संबंधित कृषक.

15. **मौसम केन्द्रों की जानकारी :—** राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रदेश के तहसील/विकासखंडों में वर्षामापी यंत्र स्थापित है जिसके दैनिक वर्षा के आंकड़े नियमित प्राप्त होते हैं. योजनान्तर्गत क्षतिपूर्ति निर्धारण हेतु इन आंकड़ों को मान्य किया जाना है. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के वर्षामापी यंत्र बंद या खराब होने की स्थिति में जिले में केन्द्रीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा स्थापित वर्षामापी यंत्र के आंकड़े स्वीकार किये जायेंगे.

16. **बीमित फसल में परिवर्तन/बदलाव का विकल्प :—** ऐच्छिक आधार पर कृषक द्वारा अधिसूचित फसल के लिए लिये गये बीमा आवरण में फसल के नाम का बदलाव ईच्छा होने पर किया जा सकता है किन्तु ऐसा ऋणी एवं अऋणी कृषकों से प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु अंतिम तिथि (31-07-2016) के 30 दिवस पूर्व अर्थात् 01-07-2016 तक ही संबंधित वित्तीय संस्था/अधिकृत बीमाकर्ता (जैसी भी स्थिति हो) के माध्यम से बीमा कंपनी को लिखित रूप में तथा बोनी प्रमाण पत्र [जो बीमा इकाई स्तर पर अधिकृत राजस्व कर्मचारी (राजस्व पटवारी) अथवा इससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा अन्य फसल की बोनी करने संबंधी जारी प्रमाण पत्र हो] के साथ उपलब्ध कराने पर ही मान्य होगा. यह विकल्प केवल उन्हीं कृषकों को होगा जिन्होंने फसल बीमा हेतु प्रीमियम राशि जमा कर दी है.

ऋणी कृषक भी फसल परिवर्तन कर सकते हैं तथा उन्हें इस संबंध में संबंधित बैंक को ऋणी एवं अऋणी कृषकों से प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु अंतिम तिथि (31-07-2016) के 30 दिवस पूर्व अर्थात 01-07-2016 तक लिखित में सूचित करना होगा ताकि उनके बीमा प्रस्ताव में आवश्यक संशोधन किया जा सके. किन्तु गैर अधिसूचित फसल को यदि अधिसूचित फसल में परिवर्तित किया जाना है तो ऐच्छिक आधार पर बीमा कराने वाले कृषकों के अनुरूप बीमा इकाई से संबंधित राजस्व अधिकारी द्वारा दूसरी फसल बोनी करने संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा.

17. **बीमा कंपनी द्वारा देय दावा भुगतान एवं संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा कृषकों के खाते में समायोजन की समय-सीमा :—**

(क) **फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति :—** भारत सरकार तथा राज्य शासन के प्रीमियम अनुदान प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित बीमा कंपनी द्वारा देय दावा भुगतान की राशि संबंधित वित्तीय संस्था को प्रदान करेगी तथा वित्तीय संस्था द्वारा एक सप्ताह के अंदर धनराशि पात्र कृषकों के खाते में समायोजित कर 15 दिन के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित बीमा कंपनी को प्रस्तुत करेगी.

(ख) **फसल की अवधि में नुकसान होने की स्थिति में क्षति :—** केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा प्रीमियम अंश प्राप्त होने की स्थिति में राज्य शासन द्वारा आपदा क्षेत्र घोषित किये जाने संबंधी पारित आदेश के 01 माह के भीतर कृषकों के खाते में.

(ग) **बुआई नहीं हो पाने की स्थिति/बुवाई का फेल हो जाना :—** केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा प्रीमियम अंश प्राप्त होने की स्थिति में राज्य शासन द्वारा प्रभावित क्षेत्र घोषित किये जाने संबंधी अधिसूचना/आदेश पारित होने की तिथि के 30 दिवस के भीतर.

(घ) **स्थानीय आपदाओं के मामले में क्षति :—** संयुक्त समिति जिसमें बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित हानि निर्धारक (Loss Assessor) भी सम्मिलित हो द्वारा क्षति आंकलन संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के 15 दिवस के भीतर. (केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा प्रीमियम अंश प्राप्त होने की स्थिति में)

(ङ) **फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में क्षति :—** संयुक्त समिति जिसमें बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित हानि निर्धारक (Loss Assessor) भी सम्मिलित हो द्वारा क्षति आंकलन संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के 15 दिवस के भीतर. (केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा प्रीमियम अंश प्राप्त होने की स्थिति में)

18. **क्रियान्वयन बीमा कंपनी द्वारा हानि निर्धारकों (Loss Assessor) की नियुक्ति :—** योजना क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत विभिन्न क्षति जिनका विवरण बिन्दु क्रमांक 17 में दिया गया है, हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले क्षति निर्धारकों की नियुक्ति आवश्यक रूप से की जायेगी तथा इसकी सूचना राज्य शासन को दी जायेगी.

19. **बैंक सर्विस चार्जेस :—** सभी बैंकों को ऋणी एवं अऋणी कृषकों का बीमा करने के लिए कृषक द्वारा देय (Net) प्रीमियम राशि का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर पर बैंक सर्विस चार्जेस मौसम समाप्ति के पश्चात् प्रदान किया जावेगा.

20. भारत सरकार द्वारा योजना क्रियान्वयन के जारी दिशा–निर्देश, इनमें विभिन्न कार्यों हेतु अंकित समय–सीमा, कार्य की पद्धति, ऑनलाईन अपलोड की जाने वाली जानकारियों को अपलोड किये जाने का दायित्व क्रियान्वयन बीमा कंपनियों का होगा तथा इस हेतु पृथक से आदेश जारी नहीं किये जायेंगे.

21. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश एवं इसमें उल्लेखित अपेक्स संस्थाओं का निर्णय सर्वमान्य होगा.

22. **यूनिइटेड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम ( UPIS ) :—** भारत सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार यूनिफाईड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम (UPIS) के पायलट आधार पर क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के राजनांदगांव एवं बस्तर जिलों का चयन किया गया है. इस योजना का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में चयनित बीमा कंपनी ईफको–टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (जो उक्त दोनों जिलों से संबंधित कलस्टर में एल–1 है) के द्वारा किया जाना है.

UPIS अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ अनिवार्य रूप से किसान द्वारा लिया जाना है. शेष प्रयोजनों में से कम से कम किन्हीं दो प्रयोजनों का चयन किसान द्वारा किया जाना है एवं इसका लाभ नहीं उठाने पर किसान को घोषणा–पत्र द्वारा यह सूचित करना होगा कि उसके द्वारा पूर्व से किसी अन्य बीमा एजेंसी द्वारा यह लाभ लिया जा रहा है. योजना अंतर्गत फसल बीमा के अलावा शेष सभी प्रयोजनों में कवरेज एक साल के लिये माना जावेगा.

UPIS योजना में सम्मिलित प्रयोजनों का विवरण निम्नानुसार है :—

| क्र. | प्रयोजन | बीमित राशि (रु.) | प्रीमियम राशि |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | (अ) भवन (आगजनी तथा संबंधित जोखिम) | 50,000 | रु. 40/– (सेवाकर अतिरिक्त) |
| | (ब) वस्तु बीमा | 20,000 | रु. 20/– (सेवाकर अतिरिक्त) |
| 2. | व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा | 2,00,000 | रु. 12/– प्रति व्यक्ति |
| 3. | कृषि पंप सेट बीमा (10 हार्स पॉवर तक) | 25,000 | रु. 438/– (सेवाकर अतिरिक्त) |
| 4. | कृषि ट्रैक्टर बीमा | | |
| 5. | **विद्याथी सुरक्षा बीमा—** | | |
| | (अ) दुर्घटना से मृत्यु | 50,000 | |
| | (ब) पूर्ण दिव्यांगता | 50,000 | रु. 75/– प्रति विद्यार्थी |
| | (स) एक आंख एवं एक कान क्षतिग्रस्त होने पर | 25,000 | (सेवाकर अतिरिक्त) |
| | (द) दुर्घटना द्वारा अस्पताल में भर्ती होने पर | 5,000 | |
| 6. | जीवन बीमा | 2,00,000 | रु. 330/– प्रति व्यक्ति |

यह अधिसूचना दिनांक 01–04–2016 से प्रभावी मानी जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**प्रदीप कुमार दवे,** संयुक्त सचिव.

# गृह (पुलिस) विभाग
## मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 मई 2016

क्रमांक एफ-1-51/2013/गृह-दो/भापुसे.— राज्य शासन एतद्द्वारा, श्रीमती पारूल माथुर, (भापुसे), पुलिस अधीक्षक, रेल, रायपुर, छत्तीसगढ़ को दिनांक 12-05-2016 से 01-06-2016 तक (कुल 21 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती पारूल माथुर आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, रेल, रायपुर, छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती माथुर को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती माथुर, भापुसे अवकाश पर नहीं जाती, तो अपने पद पर कार्य करती रहती.

5. श्रीमती पारूल माथुर, (भापुसे), पुलिस अधीक्षक, रेल, रायपुर, छत्तीसगढ़ के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, रेल, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार श्रीमती मिलना कुर्रे, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अजाक, पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 17 मई 2016

क्रमांक एफ-7-07/2014/गृह-दो/भापुसे.— राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री पवन देव, (भापुसे), पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को दिनांक 18-04-2016 से 23-04-2016 तक (कुल 06 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 16, 17-04-2016 एवं 24-04-2016 के शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पवन देव आगामी आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री देव को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री देव, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री पवन देव, (भापुसे), पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर का अतिरिक्त प्रभार श्री बी.पी.एस. पौषार्य, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, अजाक, पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 17 मई 2016

क्रमांक एफ-7-07/2016/गृह-दो/भापुसे.— राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री प्रदीप गुप्ता, (भापुसे), पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज, दुर्ग, छत्तीसगढ़ को दिनांक 25-05-2016 से 02-06-2016 तक (कुल 09 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृति प्रदान करता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रदीप गुप्ता आगामी आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज, दुर्ग, छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री गुप्ता को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गुप्ता, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री प्रदीप गुप्ता, (भापुसे), पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज, दुर्ग, छत्तीसगढ़ के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज का अतिरिक्त प्रभार श्री एच. के. राठौर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, अअवि, पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 18 मई 2016

क्रमांक एफ-07-05/2016/गृह-दो/भापुसे.— राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री अभिषेक पाठक, (भापुसे), पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को दिनांक 26-04-2016 से 29-04-2016 तक (कुल 04 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृति प्रदान करता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अभिषेक पाठक आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री पाठक को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पाठक, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री अभिषेक पाठक, (भापुसे), पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर का अतिरिक्त प्रभार श्री जे. आर. ठाकुर, रापुसे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 19 मई 2016

क्रमांक एफ 7-27/2014/दो-गृह/भापुसे.— राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री आर. के. विज, (भापुसे-1988) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, योजना/प्रबंध एवं तकनीकी सेवायें, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को दिनांक 19-05-2016 से 26-05-2016 (08 दिवस) तक का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री विज आगामी आदेश तक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, योजना/प्रबंध एवं तकनीकी सेवायें, पुलिस मुख्यालय, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री विज को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. विज, (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री आर. के. विज, (भापुसे-1988) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, योजना/प्रबंध एवं तकनीकी सेवायें, पुलिस मुख्यालय, रायपुर के उक्त अवकाश अवधि में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, योजना/प्रबंध एवं तकनीकी सेवायें, पुलिस मुख्यालय, रायपुर का चालू प्रभार श्री दीपांशु काबरा, पुलिस महानिरीक्षक, योजना, प्रबंध, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 20 मई 2016

क्रमांक एफ-07-12/2015/गृह-दो/भापुसे.— राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री धर्मेन्द्र गर्ग, (भापुसे), पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, बघेरा, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ को दिनांक 09-05-2016 से 23-05-2016 तक (कुल 15 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए, दिनांक 08-05-2016 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री धर्मेन्द्र गर्ग आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, बघेरा, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री गर्ग को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गर्ग, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री धर्मेन्द्र गर्ग, (भापुसे), पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, बघेरा, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, बघेरा का अतिरिक्त प्रभार श्री श्रीकांत द्विवेदी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, बघेरा, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एन. डी. कुंदानी,** अवर सचिव.

---

## ग्रामोद्योग विभाग
### मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 मई 2016

क्रमांक-एफ-1-24/2013/(6) 52.— राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित अशासकीय सदस्यों को छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड, रायपुर में सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है :—

1. श्री होरीलाल चक्रधारी, ग्राम-अकोला, पोस्ट-ओटेबंध धमधा, जिला-दुर्ग.
2. श्री चित्रसेन प्रजापति, ग्राम-मोहेरा, पोस्ट-मालगांव, मगरलोड, जिला-धमतरी.
3. श्री शम्भू चक्रवर्ती, ग्राम-रनपुर बगीचा, जिला-जशपुर.
4. श्रीमती जमुना पाण्डे, सरगांव, बिलासपुर.
5. श्री भगत कुंभकार, ग्राम-दाढ़ी, जिला-बेमेतरा.

नया रायपुर, दिनांक 7 मई 2016

क्रमांक-एफ-1-24/2013/(6) 52.— राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित अशासकीय सदस्यों को छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड, रायपुर में सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है :—

1. श्री प्रदीप सागर, भलवापदरपारा, कोण्डागांव.
2. श्री ज्योतिनंद दुबे, दीपिका, जिला-कोरबा.

नया रायपुर, दिनांक 7 मई 2016

क्रमांक-एफ-1-24/2013/(6) 52.— राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित अशासकीय सदस्यों को छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, रायपुर में सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है :—

1. श्री व्ही. विश्वनाथन आचारी, भिलाई-3, चरोदा, जिला-दुर्ग.
2. श्रीमती नंदनी धाक, ग्राम-मोंहदीपाठ, पोस्ट-खुरसुनी-जिला-बालोद.
3. श्री भूपेन्द्र सेन, कसडोल बलौदाबाजार.
4. श्रीमती मंजूलता अग्रवाल, बिलासपुर.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एस. एल. आदिले,** उप-सचिव.

# ऊर्जा विभाग
## मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 मई 2016

क्रमांक 569/एफ 1-2/2016/13/1.—राज्य शासन छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम के कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, श्री एन. बैजेन्द्र कुमार, जो राज्य शासन के आदेश क्रमांक ई-1-1/2016/एक/2 दिनांक 04-04-2016 के पालन में अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ हैं, को आदेश जारी करने के दिनांक से आगामी आदेश तक उक्त कंपनी में पदेन संचालक नियुक्त करता है.

2. विभागीय आदेश क्रमांक 1570/एफ 1-9/2008/13-1 दिनांक 22-10-2009 से श्री अमन कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, को छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में पदेन निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है, उन्हें छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम की कंडिका 77 (iv) के अंतर्गत आदेश जारी करने के दिनांक से उक्त कंपनी के निदेशक पद से कार्यमुक्त किया जाता है.

3. नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जायेगी.

नया रायपुर, दिनांक 24 मई 2016

क्रमांक 576/एफ 1-2/2016/13/1.—राज्य शासन छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम के कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, श्री एन. बैजेन्द्र कुमार, जो राज्य शासन के आदेश क्रमांक ई-1-1/2016/एक/2 दिनांक 04-04-2016 के पालन में अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ हैं, को आदेश जारी करने के दिनांक से आगामी आदेश तक उपरोक्त कंपनी में पदेन संचालक नियुक्त करता है.

2. विभागीय आदेश क्रमांक 1572/एफ 1-9/2008/13-1 दिनांक 22-10-2009 से श्री अमन कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जो छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड में पदेन निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है, उन्हें छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम की कंडिका 77 (iv) के अंतर्गत आदेश जारी करने के दिनांक से उक्त कंपनी के निदेशक पद से कार्यमुक्त किया जाता है.

3. नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जायेगी.

नया रायपुर, दिनांक 24 मई 2016

क्रमांक 578/एफ 1-2/2016/13/1.—राज्य शासन छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम के कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, श्री एन. बैजेन्द्र कुमार, जो राज्य शासन के आदेश क्रमांक ई-1-1/2016/एक/2 दिनांक 04-04-2016 के पालन में अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ हैं, को आदेश जारी करने के दिनांक से आगामी आदेश तक उपरोक्त कंपनी में पदेन संचालक नियुक्त करता है.

2. विभागीय आदेश क्रमांक 1578/एफ 1-9/2008/13-1 दिनांक 22-10-2009 से श्री अमन कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जो छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में पदेन निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है, उन्हें छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम की कंडिका 77 (iv) के अंतर्गत आदेश जारी करने के दिनांक से उक्त कंपनी के निदेशक पद से कार्यमुक्त किया जाता है.

3. नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जायेगी.

नया रायपुर, दिनांक 24 मई 2016

क्रमांक 580/एफ 1-2/2016/13/1.—राज्य शासन छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम के कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, श्री एन. बैजेन्द्र कुमार, जो राज्य शासन के आदेश क्रमांक ई-1-1/2016/एक/2 दिनांक 04-04-2016 के पालन में अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ हैं, को आदेश जारी करने के दिनांक से आगामी आदेश तक उपरोक्त कंपनी में पदेन संचालक नियुक्त करता है.

2. विभागीय आदेश क्रमांक 1576/एफ 1-9/2008/13-1 दिनांक 22-10-2009 से श्री अमन कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जो छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में पदेन निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है, उन्हें छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम की कंडिका 77 (iv) के अंतर्गत आदेश जारी करने के दिनांक से उक्त कंपनी के निदेशक पद से कार्यमुक्त किया जाता है.

3. नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जायेगी.

नया रायपुर, दिनांक 24 मई 2016

क्रमांक 582/एफ 1-2/2016/13/1.—राज्य शासन छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम के कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, श्री एन. बैजेन्द्र कुमार, जो राज्य शासन के आदेश क्रमांक ई-1-1/2016/एक/2 दिनांक 04-04-2016 के पालन में अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ हैं, को आदेश जारी करने के दिनांक से आगामी आदेश तक उपरोक्त कंपनी में पदेन संचालक नियुक्त करता है.

2. विभागीय आदेश क्रमांक 1576/एफ 1-9/2008/13-1 दिनांक 22-10-2009 से श्री अमन कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जो छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में पदेन निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है, उन्हें छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम की कंडिका 77 (iv) के अंतर्गत आदेश जारी करने के दिनांक से उक्त कंपनी के निदेशक पद से कार्यमुक्त किया जाता है.

3. नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एम. एस. रत्नम,** विशेष सचिव.

---

## वन विभाग
### मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 मई 2016

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमश: यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और, उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ उप-खण्ड को वन

व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

**जिला-रायगढ़, तहसील-सारंगढ़, वन मंडल- रायगढ़, वन परिक्षेत्र-सारंगढ़**

| स. क्र. | वन खण्ड का नाम | पटवारी हल्का नं. एवं राजस्व ग्राम का नाम जहां वन खण्ड अवस्थित है | खसरा नंबर | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | अवस्थिति/सीमाएं |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | बोरीद | 15 बोरीद | 13/3 | 0.303 | **उत्तर** – संरक्षित वन सारंगढ़ कक्ष क्र. 884, उल्टा मुनारा क्र. 36/36 से 35/35 एवं कृत्रिम सीमा मुनारा क्र. 6. |
| | | | 13/14 | 0.445 | **पूर्व** – संरक्षित वन सारंगढ़ कक्ष क्र. 884, उल्टा मुनारा क्र. 35/35 से 34/34 तक. |
| | | | 13/7 | 0.445 | **दक्षिण** – कृत्रिम सीमा सर्वे मुनारा क्र. 7 से 1 |
| | | | 13/1 | 0.304 | **पश्चिम** – कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 1 से 6 तक |
| | | | 13/10 | 0.445 | |
| | | | 13/17 | 0.202 | |
| | | | 13/13 | 0.849 | |
| | | | 13/5 | 0.607 | |
| | | | 13/6 | 0.849 | |
| | | | 13/16 | 0.206 | |
| | | | 12/1 | 0.299 | |
| | | | 13/18 | 0.105 | |
| | | | 13/2 | 0.304 | |
| | | | 13/9 | 0.445 | |
| | | | 13/11 | 0.445 | |
| | | | 13/4 | 0.303 | |
| | | | 13/8 | 0.445 | |
| | | | 13/15 | 0.445 | |
| | | | 13/12 | 0.445 | |
| | | **योग** | **19** | **7.891** | |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अनिल कुमार साहू,** सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 18 मई 2016

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2, दिनांक 18-05-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अनिल कुमार साहू,** सचिव.

Naya Raipur, the 18th May 2016

No. F 7-10/2013/10-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-divisional Officer (Revenue), Sarangarh Sub-division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

**District - Raigarh, Tehsil - Sarangarh, Forest Division - Raigarh, Forest Range - Sarangarh**

| S. No. | Name of Forest Block | Patwari Halka No. and Name of Revenue Village where Block situated | Khasara Numbers | Area in Hectare | Situation/Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Borid | 15 Borid | 13/3 | 0.303 | **North -** Protected Forest Sarangarh Compartment No. 884, reverse pillar No. 36/36 to 35/35. And Artificial Boundary pillar No. 6. |
| | | | 13/14 | 0.445 | **East -** Protected Forest Sarangarh Compartment No. 884, reverse pillar No. 35/35 to 34/34. |
| | | | 13/7 | 0.445 | **South -** Artificial Boundary line opposite survey pillar No. 7 to 1. |
| | | | 13/1 | 0.304 | **West -** Artificial Boundary line survey pillar No. 1 to 6. |
| | | | 13/10 | 0.445 | |
| | | | 13/17 | 0.202 | |
| | | | 13/13 | 0.849 | |
| | | | 13/5 | 0.607 | |
| | | | 13/6 | 0.849 | |
| | | | 13/16 | 0.206 | |
| | | | 12/1 | 0.299 | |
| | | | 13/18 | 0.105 | |
| | | | 13/2 | 0.304 | |
| | | | 13/9 | 0.445 | |
| | | | 13/11 | 0.445 | |
| | | | 13/4 | 0.303 | |
| | | | 13/8 | 0.445 | |
| | | | 13/15 | 0.445 | |
| | | | 13/12 | 0.445 | |
| | | **Total** | **19** | **7.891** | |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 18 मई 2016

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमश: यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और, उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त

अधिनियम के अध्याय दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

**जिला-रायगढ़, तहसील-बरमकेला, वन मंडल- रायगढ़, वन परिक्षेत्र-सारंगढ़**

| स. क्र. | वन खण्ड का नाम | पटवारी हल्का नं. एवं राजस्व ग्राम का नाम जहां वन खण्ड अवस्थित है | | खसरा नंबर | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | अवस्थिति/सीमाएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | | (4) | (5) | (6) |
| 1. | भकुर्रा (अ) | 38 भकुर्रा | | 35/1 | 1.076 | **उत्तर** - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 1 से 6 |
| | | | | 35/2 | 2.023 | **पूर्व** - आरक्षित वन दानव करवट कक्ष क्रमांक 1076 सर्वे मुनारा क्र. 11 से 15 तक. |
| | | | | 35/3 | 2.023 | |
| | | | | 35/4 | 2.023 | **दक्षिण** - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 7 से 13 व आरक्षित वन दानव करवट कक्ष क्र. 1076 |
| | | | | 35/7 | 2.023 | |
| | | | | 36/3 | 2.023 | **पश्चिम** - आरक्षित वन दानव करवट कक्ष क्रमांक 1073 सर्वे मुनारा क्र. 23 से 25 तक व कृत्रिम सीमा सर्वे मुनारा क्र. 14 से 20. |
| | | | | 36/5 | 2.023 | |
| | | | | 36/6 | 1.011 | |
| | | | | 36/8 | 1.448 | |
| | | | | 45/10 | 0.202 | |
| | | | | 41 | 0.113 | |
| | | | **योग** | **11** | **15.988** | |
| 2. | भकुर्रा (ब) | 38 भकुर्रा | | 33/1 | 0.774 | **उत्तर** - कृत्रिम सीमा सर्वे मुनारा क्र. 1 से 2 तक. |
| | | | | 33/3 | 2.023 | **पूर्व** - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 2 से 5 तक. |
| | | | | 34/7 | 1.011 | **दक्षिण** - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 5 से 6 तक. |
| | | | | | | **पश्चिम** - आरक्षित वन दानव करवट कक्ष क्रमांक 1073 |
| | | | **योग** | **03** | **3.808** | |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अनिल कुमार साहू,** सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 18 मई 2016

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2, दिनांक 18-05-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अनिल कुमार साहू,** सचिव.

Naya Raipur, the 18th May 2016

No. F 7-10/2013/10-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-divisional Officer (Revenue), Sarangarh Sub-division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

**District - Raigarh, Tehsil - Baramkela, Forest Division - Raigarh, Forest Range - Sarangarh**

| S. No. | Name of Forest Block | Patwari Halka No. and Name of Revenue Village where Block situated | Khasara Numbers | Area in Hectare | Situation/Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Bhakurra (A) | 38 Bhakurra | 35/1 | 1.076 | **North -** Artificial Boundary line survey pillar No. 1 to 6. |
| | | | 35/2 | 2.023 | |
| | | | 35/3 | 2.023 | **East -** Reserve Forest Danav Karvat Compartment number 1076 Survey pillar No. 11 to 15. |
| | | | 35/4 | 2.023 | |
| | | | 35/7 | 2.023 | |
| | | | 36/3 | 2.023 | **South -** Artificial Boundary line survey pillar No. 7 to 13 & Reserve Forest Danav Karvat Compartment number 1076. |
| | | | 36/5 | 2.023 | |
| | | | 36/6 | 1.011 | |
| | | | 36/8 | 1.448 | **West -** Reserve Forest Danav Karvat Compartment number 1073 Survey pillar No. 23 to 25 & Artificial Boundary line survey pillar No. 14 to 20. |
| | | | 45/10 | 0.202 | |
| | | | 41 | 0.113 | |
| | | **Total** | **11** | **15.988** | |
| 2. | Bhakurra (B) | 38 Bhakurra | 33/1 | 0.774 | **North -** Artificial Boundary line survey pillar No. 1 to 2. |
| | | | 33/3 | 2.023 | |
| | | | 34/7 | 1.011 | **East -** Artificial Boundary line survey pillar No. 2 to 5. |
| | | | | | **South -** Artificial Boundary line survey pillar No. 5 to 6. |
| | | | | | **West -** Reserve Forest Danav Karvat Compartment number 1073. |
| | | **Total** | **03** | **3.808** | |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 18 मई 2016

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमश: यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन

के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और, उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

## अनुसूची

**जिला-रायगढ़, तहसील-बरमकेला, वन मंडल- रायगढ़, वन परिक्षेत्र-सारंगढ़**

| स. क्र. | वन खण्ड का नाम | पटवारी हल्का नं. एवं राजस्व ग्राम का नाम जहां वन खण्ड अवस्थित है | खसरा नंबर | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | अवस्थिति/सीमाएं |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | बेहराबहाल | 51 बेहराबहाल | 1/12 | 1.214 | **उत्तर** - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 1 से 4 |
| | | | 1/17 | 1.214 | **पूर्व** - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 4 से 13 |
| | | | 1/18 | 1.619 | **दक्षिण** - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 13 से 17 |
| | | | 1/2 | 1.214 | **पश्चिम** - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 17 से 20 एवं 20 से 1. |
| | | | 1/6 | 1.214 | |
| | | | 1/13 | 1.214 | |
| | | | 1/14 एवं 15 | 1.214 | |
| | | | 1/21 | 0.930 | |
| | | | 62/2 | 1.214 | |
| | | | 62/3 | 1.619 | |
| | | **योग** | **11** | **12.666** | |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अनिल कुमार साहू,** सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 18 मई 2016

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2, दिनांक 18-05-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अनिल कुमार साहू,** सचिव.

Naya Raipur, the 18th May 2016

No. F 7-10/2013/10-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-divisional Officer (Revenue), Sarangarh Sub-division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land

comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

**District - Raigarh, Tehsil - Baramkela, Forest Division - Raigarh, Forest Range - Sarangarh**

| S. No. | Name of Forest Block | Patwari Halka No. and Name of Revenue Village where Block situated | Khasara Numbers | Area in Hectare | Situation/Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Behrabahal | 51 Behrabahal | 1/12 | 1.214 | **North -** Artificial Boundary line survey pillar No. 1 to 4. |
| | | | 1/17 | 1.214 | |
| | | | 1/18 | 1.619 | **East -** Artificial Boundary line survey pillar No. 4 to 13. |
| | | | 1/2 | 1.214 | |
| | | | 1/6 | 1.214 | **South -** Artificial Boundary line survey pillar No. 13 to 17 |
| | | | 1/13 | 1.214 | |
| | | | 1/14 & 15 | 1.214 | **West -** Artificial Boundary line survey pillar No. 17 to 20 & 20 to 1. |
| | | | 1/21 | 0.930 | |
| | | | 62/2 | 1.214 | |
| | | | 62.3 | 1.619 | |
| | | **Total** | **11** | **12.666** | |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 18 मई 2016

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमश: यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और, उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

**जिला-रायगढ़, तहसील-बरमकेला, वन मंडल- रायगढ़, वन परिक्षेत्र-सारंगढ़**

| स. क्र. | वन खण्ड का नाम | पटवारी हल्का नं. एवं राजस्व ग्राम का नाम जहां वन खण्ड अवस्थित है | खसरा नंबर | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | अवस्थिति/सीमाएं |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | खैरट | 51 खैरट | 1/2 | 1.007 | **उत्तर** - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 1 से 5 |
| | | | 1/3 | 0.805 | **पूर्व** - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 5 से 18 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1/4 | 0.747 | **दक्षिण** - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 18 से 36 **पश्चिम** - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 36 से 39 एवं 1. |
| | | | 1/5 | 0.805 | |
| | | | 1/6 | 0.162 | |
| | | | 1/7 | 0.162 | |
| | | | 1/8 | 0.162 | |
| | | | 1/9 | 0.162 | |
| | | | 1/10 | 0.161 | |
| | | | 1/11 | 0.202 | |
| | | | 2 | 0.06 | |
| | | | 5/1 | 0.882 | |
| | | | 5/2 | 1.094 | |
| | | | 5/3 | 1.049 | |
| | | | 5/4 | 0.162 | |
| | | | 21/1 K | 1.89 | |
| | | | 21/1 G | 1.164 | |
| | | | 22/1 | 0.943 | |
| | | | 22/2 | 0.462 | |
| | | | 23/1 | 0.265 | |
| | | | 23/2 | 0.755 | |
| | | | 23/3 | 0.265 | |
| | | | 23/4 | 0.265 | |
| | | | 23/5 | 0.265 | |
| | | | 23/6 | 0.306 | |
| | | **योग** | **25** | **14.202** | |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अनिल कुमार साहू,** सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 18 मई 2016

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2, दिनांक 18-05-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अनिल कुमार साहू,** सचिव.

Naya Raipur, the 18th May 2016

No. F 7-10/2013/10-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-divisional Officer (Revenue), Sarangarh Sub-division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land

comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

**District - Raigarh, Tehsil - Baramkela, Forest Division - Raigarh, Forest Range - Sarangarh**

| S. No. | Name of Forest Block | Patwari Halka No. and Name of Revenue Village where Block situated | Khasara Numbers | Area in Hectare | Situation/Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Khairat | 51 Khairat | 1/2 | 1.007 | **North -** Artificial Boundary line survey pillar No. 1 to 5. |
| | | | 1/3 | 0.805 | |
| | | | 1/4 | 0.747 | **East -** Artificial Boundary line survey pillar No. 5 to 18. |
| | | | 1/5 | 0.805 | |
| | | | 1/6 | 0.162 | **South -** Artificial Boundary line survey pillar No. 18 to 36 |
| | | | 1/7 | 0.162 | |
| | | | 1/8 | 0.162 | **West -** Artificial Boundary line survey pillar No. 36 to 39 and 1. |
| | | | 1/9 | 0.162 | |
| | | | 1/10 | 0.161 | |
| | | | 1/11 | 0.202 | |
| | | | 2 | 0.06 | |
| | | | 5/1 | 0.882 | |
| | | | 5/2 | 1.094 | |
| | | | 5/3 | 1.049 | |
| | | | 5/4 | 0.162 | |
| | | | 21/1 K | 1.89 | |
| | | | 21/1 G | 1.164 | |
| | | | 22/1 | 0.943 | |
| | | | 22/2 | 0.462 | |
| | | | 23/1 | 0.265 | |
| | | | 23/2 | 0.755 | |
| | | | 23/3 | 0.265 | |
| | | | 23/4 | 0.265 | |
| | | | 23/5 | 0.265 | |
| | | | 23/6 | 0.306 | |
| | | **Total** | **25** | **14.202** | |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 18 मई 2016

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और, उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त

अधिनियम के अध्याय दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

**जिला-रायगढ़, तहसील-तमनार, वन मंडल- रायगढ़, वन परिक्षेत्र-तमनार**

| स. क्र. | वन खण्ड का नाम | पटवारी हल्का नं. एवं राजस्व ग्राम का नाम जहां वन खण्ड अवस्थित है | खसरा नंबर | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | अवस्थिति/सीमाएं |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | कचकोबा | 37 कचकोबा | 468/1 | 14.998 | **उत्तर** - संरक्षित वन डांगडाही कक्ष क्र. 854, मुनारा क्र. 29/7 से 30/8.<br>**पूर्व** - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 21 से 59<br>**दक्षिण** - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 7 से 21<br>**पश्चिम** - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 1 से 7 |
| | | **योग** | **1** | **14.998** | |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अनिल कुमार साहू,** सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 18 मई 2016

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2, दिनांक 18-05-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अनिल कुमार साहू,** सचिव.

Naya Raipur, the 18th May 2016

No. F 7-10/2013/10-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-divisional Officer (Revenue), Gharghoda Sub-division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in

accordance with the provisions of Chapter II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

**District - Raigarh, Tehsil - Tamnar, Forest Division - Raigarh, Forest Range - Tamnar**

| S. No. | Name of Forest Block | Patwari Halka No. and Name of Revenue Village where Block situated | Khasara Numbers | Area in Hectare | Situation/Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Kachkoba | 37 Kachkoba | 468/1 | 14.998 | **North -** Protected forest Dangdahi Comp. No.-854, Pillar No. 29/7 to 30/8. **East -** Artificial Boundary line survey pillar No. 21 to 59. **South -** Artificial Boundary line survey pillar No. 7 to 21. **West -** Artificial Boundary line survey pillar No. 1 to 7. |
| | | **Total** | **1** | **14.998** | |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 18 मई 2016

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और, उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

**जिला-रायगढ़, तहसील-घरघोड़ा, वन मंडल- रायगढ़, वन परिक्षेत्र-घरघोड़ा**

| स. क्र. | वन खण्ड का नाम | पटवारी हल्का नं. एवं राजस्व ग्राम का नाम जहां वन खण्ड अवस्थित है | खसरा नंबर | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | अवस्थिति/सीमाएं |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | घरघोड़ी | 18 घरघोड़ी | 547/1 | 1.617 | **उत्तर** - संरक्षित वन कक्ष क्र. 1232, उल्टा मुनारा क्र.-10/10 से 8/8. |
| | | | 547/2 | 0.668 | |
| | | | 547/3 | 0.848 | **पूर्व** - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 1 से 10 |
| | | | 547/4 | 0.448 | **दक्षिण** - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 10 से 20 |
| | | | 549/1 | 0.901 | **पश्चिम** - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 20 से 21 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 549/2 | 0.900 | |
| | | | 551/1 | 0.142 | |
| | | | 552 | 0.202 | |
| | | | 553/1 | 0.303 | |
| | | | 553/2 | 0.253 | |
| | | **योग** | **10** | **6.282** | |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अनिल कुमार साहू,** सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 18 मई 2016

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2, दिनांक 18-05-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अनिल कुमार साहू,** सचिव.

Naya Raipur, the 18th May 2016

No. F 7-10/2013/10-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-divisional Officer (Revenue), Gharghoda Sub-division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

**District - Raigarh, Tehsil - Gharghoda, Forest Division - Raigarh, Forest Range - Gharghoda**

| S. No. (1) | Name of Forest Block (2) | Patwari Halka No. and Name of Revenue Village where Block situated (3) | Khasara Numbers (4) | Area in Hectare (5) | Situation/Limit (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gharghodi | 18 Gharghodi | 547/1 | 1.617 | **North -** Protected forest Compartment No.-1232, reverse pillar No. 10/10 to 8/8. |
| | | | 547/2 | 0.668 | |
| | | | 547/3 | 0.848 | **East -** Artificial Boundary line survey pillar No. 1 to 10. |
| | | | 547/4 | 0.448 | |
| | | | 549/1 | 0.901 | **South -** Artificial Boundary line survey pillar No. 10 to 20. |
| | | | 549/2 | 0.900 | |
| | | | 551/1 | 0.142 | **West -** Artificial Boundary line survey pillar No. 20 to 21. |
| | | | 552 | 0.202 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 553/1 | 0.303 | |
| | | | 553/2 | 0.253 | |
| | | **Total** | **10** | **6.282** | |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 18 मई 2016

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और, उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

## अनुसूची

**जिला-रायगढ़, तहसील-सारंगढ़, वन मंडल- रायगढ़, वन परिक्षेत्र-सारंगढ़**

| स. क्र. | वन खण्ड का नाम | पटवारी हल्का नं. एवं राजस्व ग्राम का नाम जहां वन खण्ड अवस्थित है | खसरा नंबर | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | अवस्थिति/सीमाएं |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | सहसपानी (ब) | 14 सहसपानी | 107/1 | 3.334 | **उत्तर** - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 4 से 5. |
| | | | 110/1 | 1.126 | **पूर्व** - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 5 से 14 |
| | | | 110/2 | 1.128 | **दक्षिण** - आरक्षित वन सुवरगुड़ा कक्ष क्र. 1050, उल्टा मुनारा क्र. 19 से 18. |
| | | | 110/3 | 1.128 | |
| | | | 109/2 | 1.215 | **पश्चिम** - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 1 से 3 एवं 3 से 4. |
| | | **योग** | **5** | **7.931** | |
| | सहसपानी (स) | 14 सहसपानी | 125/1 क | 0.321 | **उत्तर** - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 1 से 6. |
| | | | 125/1 ख | 0.321 | **पूर्व** - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 6 से 7 |
| | | | 125/1 ग | 0.321 | **दक्षिण** - आरक्षित वन सुवरगुड़ा कक्ष क्र. 1050, उल्टा मुनारा क्र. 26 से 25 कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 8 से 11. |
| | | | 124/1 | 0.192 | |
| | | | 124/2 | 0.192 | |
| | | | 124/3 | 0.192 | **पश्चिम** - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 11 से 12 एवं 12 से 1 तक. |
| | | | 122/3 | 0.040 | |
| | | | 73/5 क | 1.469 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 73/5 ख | 1.469 | |
| | | | 73/5 ग | 1.469 | |
| | | | 73/10 | 0.198 | |
| | | | 73/12 | 0.324 | |
| | | **योग** | **12** | **6.508** | |
| | सहसपानी (द) | 14 सहसपानी | 74/3 ख | 4.047 | **उत्तर** - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 1 से 5.<br>**पूर्व** - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 5 से 8<br>**दक्षिण** - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 8 से 11<br>**पश्चिम** - आरक्षित वन सुवरगुड़ा कक्ष क्र. 1048 |
| | | **योग** | **1** | **4.047** | |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अनिल कुमार साहू,** सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 18 मई 2016

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2, दिनांक 18-05-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अनिल कुमार साहू,** सचिव.

Naya Raipur, the 18th May 2016

No. F 7-10/2013/10-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-divisional Officer (Revenue), Sarangarh Sub-division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

**District - Raigarh, Tehsil - Sarangarh, Forest Division - Raigarh, Forest Range - Sarangarh**

| S. No. | Name of Forest Block | Patwari Halka No. and Name of Revenue Village where Block situated | Khasara Numbers | Area in Hectare | Situation/Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Sahaspani (B) | 14 Sahaspani | 107/1 | 3.334 | **North -** Artificial Boundary line survey pillar No. 4 to 5. |
| | | | 110/1 | 1.126 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 110/2 | 1.128 | **East -** Artificial Boundary line survey pillar No. 5 to 14. |
| | | | 110/3 | 1.128 | |
| | | | 109/2 | 1.215 | **South -** Reserve Forest Sourgura Compartment number 1050, Reverse pillar No. 19 to 18. |
| | | | | | **West -** Artificial Boundary line survey pillar No. 1 to 3 & 3 to 4. |
| | | **Total** | **5** | **7.931** | |
| 2. | Sahaspani (C) | 14 Sahaspani | 125/1 K | 0.321 | **North -** Artificial Boundary line survey pillar No. 1 to 6. |
| | | | 125/1 KH | 0.321 | |
| | | | 125/1 G | 0.321 | **East -** Artificial Boundary line survey pillar No. 6 to 7. |
| | | | 124/1 | 0.192 | |
| | | | 124/2 | 0.192 | **South -** Reserve Forest Sourgura Compartment number 1050, Reverse pillar No. 26 to 25. Artificial Boundary line survey pillar No. 8 to 11. |
| | | | 124/3 | 0.192 | |
| | | | 122/3 | 0.040 | |
| | | | 73/5 K | 1.469 | |
| | | | 73/5 KH | 1.469 | **West -** Artificial Boundary line survey pillar No. 11 to 12 & 12 to 1. |
| | | | 73/5 G | 1.469 | |
| | | | 73/10 | 0.198 | |
| | | | 73/12 | 0.324 | |
| | | **Total** | **12** | **6.508** | |
| 3. | Sahaspani (D) | 14 Sahaspani | 74/3 KH | 4.047 | **North -** Artificial Boundary line survey pillar No. 1 to 5. |
| | | | | | **East -** Artificial Boundary line survey pillar No. 5 to 8. |
| | | | | | **South -** Artificial Boundary line survey pillar No. 8 to 11. |
| | | | | | **West -** Reserve Forest Sourgura Compartment number 1048. |
| | | **Total** | **1** | **4.047** | |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 18 मई 2016

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमश: यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और, उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भानुप्रतापपुर उप-खण्ड को

वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

**जिला-कांकेर, तहसील-दुर्गूकोंदल, वन मंडल- पूर्व भानुप्रतापपुर, वन परिक्षेत्र-दुर्गूकोंदल**

| स. क्र. | वन खण्ड का नाम | पटवारी हल्का नं. एवं राजस्व ग्राम का नाम जहां वन खण्ड अवस्थित है | खसरा नंबर | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | अवस्थिति/सीमाएं |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | ओडाहुर (डी) | 10 ओडाहुर | 9 | 26.000 | **उत्तर** – कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्र. 07 से 11<br>**पूर्व** – कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्र. 11 से संरक्षित वन ओडाहुर पी.एफ. 906 के सीमा मुनारा क्र. 12 एवं 12 से कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्र. 1 तक.<br>**दक्षिण** – कृत्रिम सीमा रेखा के मुनारा क्र. 1 से 6 तक<br>**पश्चिम** – कृत्रिम सीमा रेखा के मुनारा क्र. 6 से 7 तक. |
| | | **योग** | **1** | **26.000** | |
| 2. | ओडाहुर (ई) | 10 ओडाहुर | 237 | 19.000 | **उत्तर** – कृत्रिम सीमा रेखा के मुनारा क्र. 4 से 14 एवं 14 से 23 तक.<br>**पूर्व** – कृत्रिम सीमा रेखा के मुनारा क्र. 23 से संरक्षित वन ओडाहुर पी.एफ. 905 के मुनारा क्र. 5 से 1 एवं 1 से आरक्षित वन ओडाहुर आर.एफ. 636 के मुनारा क्र. 175 तक.<br>**दक्षिण** – आरक्षित वन ओडाहुर आर.एफ. 636 के मुनारा क्र. 175 से 170 एवं 170 से कृत्रिम सीमा रेखा के मुनारा क्र. 01 तक.<br>**पश्चिम** – कृत्रिम सीमा रेखा के मुनारा क्र. 01 से 04 तक |
| | | **योग** | **1** | **19.000** | |
| 3. | कोडेखुर्से (बी) | 12 कोडेखुर्से | 55/1 | 35.000 | **उत्तर** – कृत्रिम सीमा रेखा के मुनारा क्र. 02 से 10<br>**पूर्व** – कृत्रिम सीमा रेखा के मुनारा क्र. 10 से 14<br>**दक्षिण** – कृत्रिम सीमा रेखा के मुनारा क्र. 14 से 16 एवं 16 से संरक्षित वन कोडेखुर्से पी.एफ. 917 के मुनारा क्र. 19 से 13 एवं 13 से कृत्रिम सीमा रेखा के मुनारा क्र. 1 तक.<br>**पश्चिम** – कृत्रिम सीमा रेखा के मुनारा क्र. 01 से 02 तक |
| | | **योग** | **1** | **35.000** | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | कोडेखुर्से (सी) | 12 कोडेखुर्से | 371 | 20.000 | **उत्तर** – कृत्रिम सीमा रेखा के मुनारा क्र. 01 से 03 तक<br>**पूर्व** – कृत्रिम सीमा रेखा के मुनारा क्र. 03 से 08 तक<br>**दक्षिण** – कृत्रिम सीमा रेखा के मुनारा क्र. 08 से 10 तक<br>**पश्चिम** – कृत्रिम सीमा रेखा के मुनारा क्र. 10 से 14 एवं 14 से 01 तक. |
| | | **योग** | **1** | **20.000** | |
| | | **कुल योग** | **4** | **100.000** | |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अनिल कुमार साहू,** सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 18 मई 2016

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2, दिनांक 18-05-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अनिल कुमार साहू,** सचिव.

Naya Raipur, the 18th May 2016

No. F 7-10/2013/10-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-divisional Officer (Revenue), Bhanupratappur Sub-division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

**District - Kanker, Tehsil - Durgukondal, Forest Division - East Bhanupratappur, Forest Range - Durgukondal**

| S. No. | Name of Forest Block | Patwari Halka No. and Name of Revenue Village where Block situated | Khasara Numbers | Area in Hectare | Situation/Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Odahur (D) | 10 Odahur | 9 | 26.000 | **North -** Artificial Boundary line pillar No. 07 to 11.<br>**East -** Artificial Boundary line pillar No. 11 to PF 906 Odahur Boundary Pillar No. 12 & 12 to Artificial Boundary line Pillar No. 1.<br>**South -** Artificial Boundary line pillar No. 1 to 6.<br>**West -** Artificial Boundary line pillar No. 6 to 7. |
| | | **Total** | **1** | **26.000** | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Odahue (E) | 10 Odahur | 237 | 19.000 | **North -** | Artificial Boundary line pillar No. 4 to 14, 14 to 23. |
| | | | | | **East -** | Artificial Boundary line pillar No. 23 to PF 905 Odahur Boundary Pillar No. 5 to 1 & 1 to RF Odahur 636 Boundary Pillar No. 175. |
| | | | | | **South -** | RF Odahur 636 Boundary Pillar No. 175 to 170 & 170 to Artificial Boundary line pillar No. 01. to 6. |
| | | | | | **West -** | Artificial Boundary line pillar No. 01 to 04. |
| | | **Total** | **1** | **19.000** | | |
| 3. | Kodekhurse (B) | 12 Kodekhurse | 55/1 | 35.000 | **North -** | Artificial Boundary line pillar No. 02 to 10. |
| | | | | | **East -** | Artificial Boundary line pillar No. 10 to 14. |
| | | | | | **South -** | Artificial Boundary line pillar No. 14 to 16 & 16 to PF Kodekhurse P 917 Boundary Pillar No. 19 to 13, 13 to 01. |
| | | | | | **West -** | Artificial Boundary line pillar No. 01 to 02. |
| | | **Total** | **1** | **35.000** | | |
| 4. | Kodekhurse (C) | 12 Kodekhurse | 371 | 20.000 | **North -** | Artificial Boundary line pillar No. 01 to 03. |
| | | | | | **East -** | Artificial Boundary line pillar No. 03 to 08. |
| | | | | | **South -** | Artificial Boundary line pillar No. 08 to 10. |
| | | | | | **West -** | Artificial Boundary line pillar No. 10 to 14, 14 to 01. |
| | | **Total** | **1** | **20.000** | | |
| | | **G. Total** | **4** | **100.000** | | |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 18 मई 2016

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमश: यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और, उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भानुप्रतापपुर उप-खण्ड को

वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

**जिला-कांकेर, तहसील-भानुप्रतापपुर, वन मंडल- पूर्व भानुप्रतापपुर, वन परिक्षेत्र-भानुप्रतापपुर**

| स. क्र. | वन खण्ड का नाम | पटवारी हल्का नं. एवं राजस्व ग्राम का नाम जहां वन खण्ड अवस्थित है | खसरा नंबर | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | अवस्थिति/सीमाएं |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | परवी (ए) | 10 परवी | 430 | 7.100 | **उत्तर** - कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्र. 01 से 08 तक<br>**पूर्व** - कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्र. 08 से 11 तक<br>**दक्षिण** - कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्र. 11 से 12 तक<br>**पश्चिम** - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 12 से 20 एवं 20 से 01 तक. |
| | | **योग** | **1** | **7.100** | |
| 2. | परवी (बी) | 10 परवी | 280<br>642<br>646 | 11.000<br>13.000<br>9.000 | **उत्तर** - कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्र. 01 से 19 तक.<br>**पूर्व** - कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्र. 19 से कांकेर मंडल के सीमा रेखा के किनारे मुनारा क्र. 21 तक.<br>**दक्षिण** - कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्र. 21 से 26 तक<br>**पश्चिम** - कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्र. 26 से 30 एवं 30 से 01 तक. |
| | | **योग** | **3** | **33.000** | |
| 3. | जेपरा | 06 जेपरा | 170/01 | 13.000 | **उत्तर** - कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्र. 06 से 09 तक<br>**पूर्व** - कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्र. 09 से 12 तक<br>**दक्षिण** - कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्र. 12 से 20 तक<br>**पश्चिम** - कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्र. 20 से 01 एवं 01 से 06 तक. |
| | | **योग** | **1** | **13.000** | |
| | | **कुल योग** | **5** | **53.100** | |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अनिल कुमार साहू,** सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 18 मई 2016

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2, दिनांक 18-05-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अनिल कुमार साहू,** सचिव.

Naya Raipur, the 18th May 2016

No. F 7-10/2013/10-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-divisional Officer (Revenue), Bhanupratappur Sub-division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

**District - Kanker, Tehsil - Bhanupratappur, Forest Division - East Bhanupratappur, Forest Range - Bhanupratappur**

| S. No. | Name of Forest Block | Patwari Halka No. and Name of Revenue Village where Block situated | Khasara Numbers | Area in Hectare | Situation/Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Parvi (A) | 10 Parvi | 430 | 7.100 | **North -** Artificial Boundary line pillar No. 01 to 08.<br>**East -** Artificial Boundary line pillar No. 08 to 11.<br>**South -** Artificial Boundary line pillar No. 11 to 12.<br>**West -** Artificial Boundary line pillar No. 12 to 20 & 20 to 01. |
| | | **Total** | **1** | **7.100** | |
| 2. | Parvi (B) | 10 Parvi | 280<br>642<br>646 | 11.000<br>13.000<br>9.000 | **North -** Artificial Boundary line pillar No. 01 to 19.<br>**East -** Artificial Boundary line pillar No. 19 to along the Kanker Division Boundary line pillar No. 21.<br>**South -** Artificial Boundary line pillar No. 21 to 26.<br>**West -** Artificial Boundary line pillar No. 26 to 30, 30 to 01. |
| | | **Total** | **3** | **33.000** | |
| 3. | Jepra | 06 Jepra | 170/01 | 13.000 | **North -** Artificial Boundary line pillar No. 06 to 09.<br>**East -** Artificial Boundary line pillar No. 09 to 12.<br>**South -** Artificial Boundary line pillar No. 12 to 20.<br>**West -** Artificial Boundary line pillar No. 20 to 01 & 01 to 06. |
| | | **Total** | **1** | **13.000** | |
| | | **G. Total** | **5** | **53.100** | |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 18 मई 2016

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमश: यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और, उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

## अनुसूची

**जिला-रायगढ़, तहसील-सारंगढ़ वन मंडल- रायगढ़, वन परिक्षेत्र-सारंगढ़**

| स. क्र. | वन खण्ड का नाम | पटवारी हल्का नं. एवं राजस्व ग्राम का नाम जहां वन खण्ड अवस्थित है | खसरा नंबर | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | अवस्थिति/सीमाएं |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | पुरैनपाली (अ) | पुरैनपाली (अ) | 29/2 | 0.583 | **उत्तर** - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 1 से 5 तक |
| | | प.ह.नं. 39 | 30 | 0.787 | **पूर्व** - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 5 से 7 तक |
| | | | 32 | 0.587 | **दक्षिण** - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 7 से 10 तक |
| | | | 33 | 0.105 | **पश्चिम** - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 10 से 1 तक |
| | | | 167/3 | 1.517 | |
| | | | 167/2 | 0.930 | |
| | | | 167/1 | 1.662 | |
| | | | 167/4 | 0.547 | |
| | | **योग** | **8** | **6.718** | |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अनिल कुमार साहू,** सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 18 मई 2016

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2, दिनांक 18-05-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अनिल कुमार साहू,** सचिव.

Naya Raipur, the 18th May 2016

No. F 7-10/2013/10-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the

Sub-divisional Officer (Revenue), Sarangarh Sub-division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

**District - Raigarh, Tehsil - Sarangarh, Forest Division - Raigarh, Forest Range - Sarangarh**

| S. No. | Name of Forest Block | Patwari Halka No. and Name of Revenue Village where Block situated | Khasara Numbers | Area in Hectare | Situation/Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Purainpali (A) | Purainpali (A) P.H. No. 39 | 29/2 | 0.583 | **North -** Artificial Boundary line survey pillar No. 1 to 5. |
| | | | 30 | 0.787 | |
| | | | 32 | 0.587 | **East -** Artificial Boundary line survey pillar No. 5 to 7. |
| | | | 33 | 0.105 | |
| | | | 167/3 | 1.517 | **South -** Artificial Boundary line survey pillar No. 7 to 10. |
| | | | 167/2 | 0.930 | |
| | | | 167/1 | 1.662 | **West -** Artificial Boundary line survey pillar No. 10 to 1. |
| | | | 167/4 | 0.547 | |
| | | **Total** | **8** | **6.718** | |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 18 मई 2016

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमश: यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और, उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

**जिला-रायगढ़, तहसील-सारंगढ़ वन मंडल- रायगढ़, वन परिक्षेत्र-सारंगढ़**

| स. क्र. | वन खण्ड का नाम | पटवारी हल्का नं. एवं राजस्व ग्राम का नाम जहां वन खण्ड अवस्थित है | खसरा नंबर | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | अवस्थिति/सीमाएं |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | पुरैनपाली (ब) | पुरैनपाली (ब) | 2/1 | 1.125 | **उत्तर** - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 1 से 14 तक |
| | | प.ह.नं. 39 | 3/1 | 0.518 | **पूर्व** - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 14 से 17 तक |
| | | मुगियाडीह | 3/2 | 1.031 | **दक्षिण** - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 17 से 24 तक |
| | | प.ह.नं. 41 | 3/3 | 0.514 | **पश्चिम** - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 24 से 1 तक |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23 | 1.193 | |
| | | | 24 | 1.060 | |
| | | | 25 | 0.955 | |
| | | | 26 | 1.307 | |
| | | | 44 | 0.790 | |
| | | | 45/2 | 0.243 | |
| | | **योग** | **10** | **8.736** | |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अनिल कुमार साहू,** सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 18 मई 2016

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2, दिनांक 18-05-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अनिल कुमार साहू,** सचिव.

Naya Raipur, the 18th May 2016

No. F 7-10/2013/10-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-divisional Officer (Revenue), Sarangarh Sub-division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

**District - Raigarh, Tehsil - Sarangarh, Forest Division - Raigarh, Forest Range - Sarangarh**

| S. No. | Name of Forest Block | Patwari Halka No. and Name of Revenue Village where Block situated | Khasara Numbers | Area in Hectare | Situation/Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Purainpali (B) | Purainpali (B) P.H. No. 39 Mugiadih P.H. No. 41 | 2/1 | 1.125 | **North -** Artificial Boundary line survey pillar No. 1 to 14. |
| | | | 3/1 | 0.518 | |
| | | | 3/2 | 1.031 | **East -** Artificial Boundary line survey pillar No. 14 to 17. |
| | | | 3/3 | 0.514 | |
| | | | 23 | 1.193 | **South -** Artificial Boundary line survey pillar No. 17 to 24. |
| | | | 24 | 1.060 | |
| | | | 25 | 0.955 | **West -** Artificial Boundary line survey pillar No. 24 to 1. |
| | | | 26 | 1.307 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44 | 0.790 | |
| | | | 45/2 | 0.243 | |
| | | **Total** | **10** | **8.736** | |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 18 मई 2016

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और, उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

## अनुसूची

**जिला-रायगढ़, तहसील-सारंगढ़ वन मंडल- रायगढ़, वन परिक्षेत्र-सारंगढ़**

| स. क्र. | वन खण्ड का नाम | पटवारी हल्का नं. एवं राजस्व ग्राम का नाम जहां वन खण्ड अवस्थित है | खसरा नंबर | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | अवस्थिति/सीमाएं |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | मुगियाडीह (अ) | मुगियाडीह (अ) प.ह.नं. 41 | 42/2 | 1.011 | **उत्तर** - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 1 से 2 तक |
| | | | 42/1 क | 0.828 | **पूर्व** - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 2 से 10 तक |
| | | | 42/1 ख | 1.811 | **दक्षिण** - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 10 से 11 तक |
| | | | | | **पश्चिम** - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 11 से 1 तक |
| | | **योग** | **3** | **3.650** | |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अनिल कुमार साहू,** सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 18 मई 2016

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2, दिनांक 18-05-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अनिल कुमार साहू,** सचिव.

Naya Raipur, the 18th May 2016

No. F 7-10/2013/10-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-divisional Officer (Revenue), Sarangarh Sub-division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

**District - Raigarh, Tehsil - Sarangarh, Forest Division - Raigarh, Forest Range - Sarangarh**

| S. No. | Name of Forest Block | Patwari Halka No. and Name of Revenue Village where Block situated | Khasara Numbers | Area in Hectare | Situation/Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Mugiadih (A) | Mugiadih (A) P.H. No. 41 | 42/2<br>42/1 क<br>42/1 ख | 1.011<br>0.828<br>1.811 | **North -** Artificial Boundary line survey pillar No. 1 to 2.<br>**East -** Artificial Boundary line survey pillar No. 2 to 10.<br>**South -** Artificial Boundary line survey pillar No. 10 to 11.<br>**West -** Artificial Boundary line survey pillar No. 11 to 1. |
| | | **Total** | **3** | **3.650** | |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 18 मई 2016

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमश: यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और, उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ उप-खण्ड को वन

व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

**जिला-रायगढ़, तहसील-सारंगढ़ वन मंडल- रायगढ़, वन परिक्षेत्र-सारंगढ़**

| स. क्र. | वन खण्ड का नाम | पटवारी हल्का नं. एवं राजस्व ग्राम का नाम जहां वन खण्ड अवस्थित है | खसरा नंबर | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | अवस्थिति/सीमाएं |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | मुगियाडीह (ब) | मुगियाडीह (ब) प.ह.नं. 41 | 46 | 0.757 | **उत्तर** - कृत्रिम रेखा मुनारा क्र. 1 से 5 तक |
| | | | 45/4 | 0.385 | **पूर्व** - कृत्रिम रेखा मुनारा क्र. 5 से 7 तक |
| | | | 47/1 | 0.192 | **दक्षिण** - कृत्रिम रेखा मुनारा क्र. 7 से 15 तक |
| | | | 47/2 | 0.101 | **पश्चिम** - कृत्रिम रेखा मुनारा क्र. 15 से 18 एवं 18 से 1 तक. |
| | | | 47/3 क | 0.280 | |
| | | | 47/3 ख | 0.247 | |
| | | | 47/4 | 0.288 | |
| | | | 47/5 | 0.162 | |
| | | | 47/6 | 0.351 | |
| | | | 48 | 0.450 | |
| | | | 49 | 0.348 | |
| | | | 50/1 | 0.717 | |
| | | | 50/2 क | 0.174 | |
| | | | 50/2 ख | 0.081 | |
| | | | 50/3 | 0.089 | |
| | | | 50/4 | 0.170 | |
| | | | 50/5 | 0.129 | |
| | | | 51/1 क | 0.918 | |
| | | | 51/2 | 0.500 | |
| | | | 51/3 | 0.267 | |
| | | | 51/4 | 0.454 | |
| | | | 51/5 | 1.031 | |
| | | | 51/7 | 0.919 | |
| | | **योग** | **23** | **9.010** | |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अनिल कुमार साहू**, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 18 मई 2016

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2, दिनांक 18-05-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अनिल कुमार साहू**, सचिव.

Naya Raipur, the 18th May 2016

No. F 7-10/2013/10-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-divisional Officer (Revenue), Sarangarh Sub-division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

**District - Raigarh, Tehsil - Sarangarh, Forest Division - Raigarh, Forest Range - Sarangarh**

| S. No. | Name of Forest Block | Patwari Halka No. and Name of Revenue Village where Block situated | Khasara Numbers | Area in Hectare | Situation/Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Mugiadih (B) | Mugiadih (B) P.H. No. 41 | 46 | 0.757 | **North -** Artificial line pillar No. 1 to 5 |
| | | | 45/4 | 0.385 | **East -** Artificial line pillar No. 5 to 7 |
| | | | 47/1 | 0.192 | **South -** Artificial line pillar No. 7 to 15 |
| | | | 47/2 | 0.101 | **West -** Artificial line pillar No. 15 to 18 and 18 to 1. |
| | | | 47/3 K | 0.280 | |
| | | | 47/3 Kh | 0.247 | |
| | | | 47/4 | 0.288 | |
| | | | 47/5 | 0.162 | |
| | | | 47/6 | 0.351 | |
| | | | 48 | 0.450 | |
| | | | 49 | 0.348 | |
| | | | 50/1 | 0.717 | |
| | | | 50/2K | 0.174 | |
| | | | 50/2 Kh | 0.081 | |
| | | | 50/3 | 0.089 | |
| | | | 50/4 | 0.170 | |
| | | | 50/5 | 0.129 | |
| | | | 51/1 K | 0.918 | |
| | | | 51/2 | 0.500 | |
| | | | 51/3 | 0.267 | |
| | | | 51/4 | 0.454 | |
| | | | 51/5 | 1.031 | |
| | | | 51/7 | 0.919 | |
| | | **Total** | **23** | **9.010** | |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 18 मई 2016

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमश: यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और, उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

## अनुसूची

**जिला-रायगढ़, तहसील-सारंगढ़ वन मंडल- रायगढ़, वन परिक्षेत्र-सारंगढ़**

| स. क्र. | वन खण्ड का नाम | पटवारी हल्का नं. एवं राजस्व ग्राम का नाम जहां वन खण्ड अवस्थित है | खसरा नंबर | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | अवस्थिति/सीमाएं |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | मुगियाडीह (स) | मुगियाडीह (स) प.ह.नं. 41 | 129/3 | 0.162 | **उत्तर** - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 1 से 5 तक |
| | | | 129/2 | 0.162 | **पूर्व** - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 5 से 6 तक |
| | | | 130/2 | 1.376 | **दक्षिण** - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 6 से 10 तक |
| | | | 131/1 | 1.062 | **पश्चिम** - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 10 से 1 तक |
| | | | 131/2 | 1.062 | |
| | | **योग** | **5** | **3.824** | |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अनिल कुमार साहू,** सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 18 मई 2016

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2, दिनांक 18-05-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अनिल कुमार साहू,** सचिव.

Naya Raipur, the 18th May 2016

No. F 7-10/2013/10-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-divisional Officer (Revenue), Sarangarh Sub-division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and

determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

**District - Raigarh, Tehsil - Sarangarh, Forest Division - Raigarh, Forest Range - Sarangarh**

| S. No. | Name of Forest Block | Patwari Halka No. and Name of Revenue Village where Block situated | Khasara Numbers | Area in Hectare | Situation/Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Mugiadih (C) | Mugiadih (C) P.H. No. 41 | 129/3 | 0.162 | **North -** Artificial Boundary line survey pillar No. 1 to 5. |
| | | | 129/2 | 0.162 | |
| | | | 130/2 | 1.376 | **East -** Artificial Boundary line survey pillar No. 5 to 6. |
| | | | 131/1 | 1.062 | |
| | | | 131/2 | 1.062 | **South -** Artificial Boundary line survey pillar No. 6 to 10. |
| | | | | | **West -** Artificial Boundary line survey pillar No. 10 to 1. |
| | | **Total** | **5** | **3.824** | |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

---

नया रायपुर, दिनांक 23 मई 2016

क्रमांक एफ 1-05/2016/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री ओ. पी. यादव, भा.व.से. (1995) सचिव, छ.ग. शासन, ऊर्जा विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सेवाएं वन विभाग को वापस प्राप्त होने पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं क्षेत्रीय संचालक, उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

2. श्रीमती संजीता गुप्ता, भा.व.से. (1997), मुख्य वन संरक्षक, पारिस्थितिकी-पर्यटन और जैव विविधता संरक्षण, रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कार्यकारी संचालक, छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एस. एल. आदिले,** उप-सचिव.

---

# आवास एवं पर्यावरण विभाग

## मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ 7-13/2016/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, आयुक्त सह संचालक, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (3) के प्रावधानों के तहत् प्रस्तुत नारायणपुर निवेश क्षेत्र की नारायणपुर विकास योजना 2031 का अनुमोदन करता है. नारायणपुर निवेश क्षेत्र की नारायणपुर विकास योजना, 2031 उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित की जा रही है.

2. नारायणपुर निवेश क्षेत्र की नारायणपुर विकास योजना 2031 की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी :—

1. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)
2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, नारायणपुर (छ.ग.)
3. कलेक्टर, नारायणपुर (छ.ग.)

3. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधानों के तहत् छत्तीसगढ़ राजपत्र में उक्त सूचना के प्रकाशन के दिनांक से नारायणपुर निवेश क्षेत्र की नारायणपुर विकास योजना 2031 प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**रेजीना टोप्पो,** संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ 7-13/2016/32.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में नारायणपुर निवेश क्षेत्र की नारायणपुर विकास योजना 2031 इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 28-4-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**रेजीना टोप्पो,** संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 28th April 2016

No. F 7-13/2016/32.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 19 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973, the State Government hereby accord approval to the Narayanpur Planning Area, Narayanpur Development Plan-2031 submitted by Directorate under sub section (3) of section 18 of said Adhiniyam. The same is being published in “Chhattisgarh Rajpatra” for as required by sub-section (4) of section 19 of the said Adhiniyam.

2. The copy of the approved Narayanpur Planning Area, Narayanpur Development Plan-2031 shall be available during office hours for inspection in the following offices :—

1. Deputy Director, Town & Country Planning, Jagdalpur (C.G.)
2. Nagar Panchayat Parishad, Narayanpur (C.G.)
3. Collector, Narayanpur (C.G.)

3. The Narayanpur Planning Area, Narayanpur Development Plan-2031 shall come into operation from the date of publication of the said notice in Chhattisgarh Rajpatra as per the provision of sub-section (5) of section 19 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Joint Secretary.

# राजस्व विभाग

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

धमतरी, दिनांक 7 मई 2016

प्ररूप-एक
(नियम 11 देखिए)

**अ-सामाजिक समाघात और लोक प्रयोजन के अवधारण के लिए प्रारंभिक अन्वेषण**

क्रमांक 4779/कले./भू-अर्जन/2016.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशायित है अर्थात् :—

अनुसूची

| जिला (1) | तहसील (2) | ग्राम/नगर (3) | क्षेत्रफल (4) | प्राधिकृत अधिकारी (5) | लोक प्रयोजन का विवरण (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| धमतरी | कुरूद | सुपेला | 2.15 | कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, धमतरी संभाग, धमतरी. | भखारा-सुपेला मार्ग निर्माण कार्य दूरी 4.00 कि.मी. |

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 02-06-2016 को (समय) 11.00 बजे (स्थान) भखारा/सुपेला पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — उक्त सड़क भखारा नगर पंचायत से ग्राम सुपेला को जोड़ती है.
2. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — कुल-17 परिवार.
3. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — निरंक
4. प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निजी कृषि भूमि का भू-अर्जन किया जाना है, मकान एवं अन्य परिसम्पत्तियां प्रस्तावित मार्ग में नहीं है.
5. प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या निरंक है.
6. क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — प्रस्तावित भू-अर्जन परियोजना के लिये न्यूनतम व उचित क्षेत्र है.
7. क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है. — हां.
8. परियोजना की कुल लागत — लगभग राशि 653.59 लाख रुपये
9. परियोजना से होने वाला लाभ — उक्त सड़क भखारा नगर पंचायत से ग्राम सुपेला को जोड़ती है, वर्तमान में भखारा से सुपेला जाने हेतु 10 कि.मी. घुम कर जाना पड़ता है. उक्त मार्ग निर्माण से 4 कि.मी. में पहुंच योग्य हो सकेगा. जिससे समय व आवागमन में सुविधा होगी.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10. | प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. | — | लोक निर्माण विभाग द्वारा संभावित व्यय का भुगतान करने हेतु प्रमाण पत्र दिया गया है. विभाग सहमत है. |
| 11. | परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक | — | निरंक |

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**भीम सिंह,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

दुर्ग, दिनांक 4 मई 2016

क्रमांक/1109/अ.भू.-अ.प्र./01/अ-82/वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-चीचा, प.ह.नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.50 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 22 | 0.12 |
| | 23/5 | 0.06 |
| | 26 | 0.04 |
| | 23/2 | 0.06 |
| | 24 | 0.18 |
| | 27 | 0.04 |
| योग | 6 | 0.50 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुड़पार गड़िया महामाया मार्ग में आमनेरनदी पर उच्चस्तरीय पुलमय पहुंच मार्ग, सड़क निर्माण योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धमधा मु. दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 6 मई 2016

क्रमांक/884/अ.भू.-अ.प्र./01/अ-82/वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-दुर्ग
- (ग) नगर/ग्राम-समोदा, प.ह.नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.37 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 6/2 | 0.10 |
| | 7 | 0.27 |
| योग | 2 | 0.37 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-समोदा-डाण्डेसरा मार्ग में शिवनाथनदी पर उच्चस्तरीय पुलमय पहुंच मार्ग, सड़क निर्माण योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 6 मई 2016

क्रमांक/887/अ.भू.-अ.प्र./02/अ-82/वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-दुर्ग
- (ग) नगर/ग्राम-डांडेसरा, प.ह.नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.85 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 327 | 0.85 |
| योग | 1 | 0.85 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डाण्डेसरा-समोदा मार्ग में शिवनाथनदी पर उच्चस्तरीय पुलमय पहुंच मार्ग, सड़क निर्माण योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आर. शंगीता,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुंद, दिनांक 28 अप्रैल 2016

क्रमांक/119/अ.वि.अ./भू-अर्जन/16 अ/82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-बागबाहरा
- (ग) नगर/ग्राम-अमलीडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.22 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 54/1 | 0.08 |
| | 56 | 0.01 |
| | 57 | 0.05 |
| | 62 | 0.02 |
| | 213 | 0.02 |
| | 151/3 | 0.04 |
| योग | 6 | 0.22 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आमाकोनी-तमोरा मार्ग पर बघनई नाला में पुलिया निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छ.ग. के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 28 अप्रैल 2016

क्रमांक/121/अ.वि.अ./भू-अर्जन/17 अ/82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-महासमुंद
 (ख) तहसील-बागबाहरा
 (ग) नगर/ग्राम-कछारडीह
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.03 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 289 | 0.03 |
| योग | 1 | 0.03 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिलहाटी भेलसर मार्ग पर धौराभाठा पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छ.ग. के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**उमेश कुमार अग्रवाल,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 27 अप्रैल 2016

क्रमांक 43/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-रायगढ़
 (ख) तहसील-रायगढ़
 (ग) नगर/ग्राम-रेगड़ा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-16.180 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 2/1 ग | 0.061 |
| 3 | 0.849 |
| 7 | 0.162 |
| 14 | 3.770 |
| 4 | 0.041 |
| 5 | 0.081 |
| 8/1 | 0.310 |
| 8/5 | 0.364 |
| 8/6 | 0.567 |
| 15/1 | 0.283 |
| 149/1 | 0.012 |
| 239/3 | 0.117 |
| 241/4 क | 0.494 |
| 241/14 | 0.324 |
| 15/6 | 0.040 |
| 15/11 | 0.506 |
| 15/10 | 0.101 |
| 16/1 | 0.172 |
| 16/3 | 0.053 |
| 45/4 | 0.202 |
| 45/5 | 0.117 |
| 45/1/क | 0.032 |
| 171/2 | 0.327 |
| 50/1 | 0.029 |
| 241/6/ख | 0.041 |
| 149/7/ख | 0.074 |
| 45/6 | 0.162 |
| 241/5 क | 0.385 |
| 45/11 | 0.202 |
| 45/3 | 0.182 |
| 46 | 0.267 |
| 51/1 | 0.284 |
| 47 | 0.012 |
| 49/5 | 0.251 |
| 52 | 0.061 |
| 50/2 | 0.032 |
| 171/1 | 0.362 |

| | (1) | (2) |
|---|---|---|
| | 51/9 क | 0.122 |
| | 149/5 | 0.049 |
| | 180/11 | 0.144 |
| | 241/2 | 0.405 |
| | 241/11 | 0.101 |
| | 51/9 ख | 0.121 |
| | 153/1 | 0.032 |
| | 152/1 | 0.223 |
| | 152/5 | 0.145 |
| | 153/2 | 0.061 |
| | 152/2 | 0.161 |
| | 154/2 | 0.202 |
| | 154/8 | 0.101 |
| | 154/4 | 0.009 |
| | 154/5 | 0.488 |
| | 239/2 | 0.146 |
| | 149/7/क | 0.088 |
| | 180/33 | 0.028 |
| | 241/5/ख | 0.343 |
| | 147/2 | 0.830 |
| | 152/9, 152/11 | 0.142 |
| | 180/8 | 0.020 |
| | 180/39 | 0.332 |
| | 180/25 | 0.032 |
| | 180/26 | 0.020 |
| | 180/37/क | 0.021 |
| | 180/37/ख | 0.048 |
| | 180/37/ग | 0.048 |
| | 180/38 | 0.202 |
| | 149/6 | 0.049 |
| | 152/3 | 0.061 |
| | 241/3/क | 0.041 |
| | 149/2 | 0.036 |
| योग | 70 | 16.180 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईन्स परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 मई 2016

क्रमांक 50/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-भिखारीमाल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.657 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर<br>(1) | रकबा (हेक्टेयर में)<br>(2) |
|---|---|
| 50/1 | 0.081 |
| 57 | 0.081 |
| 65/1 | 0.839 |
| 65/2 | 0.242 |
| 66 | 0.176 |
| 67 | 1.947 |
| 70/4 | 0.101 |
| 70/12 | 0.081 |
| 70/19 | 0.158 |
| 70/26 | 0.089 |
| 70/27 | 0.128 |
| 70/31 | 0.101 |
| 70/40 | 0.056 |
| 70/41 | 0.012 |
| 121/1 | 0.522 |
| 121/2 | 0.223 |
| 122/4 | 0.049 |
| 125/1 | 0.243 |
| 125/2 | 0.283 |
| 125/3 | 0.129 |
| 125/4 | 0.112 |
| 125/5 | 0.016 |
| 126 | 0.235 |
| 70/49 ख | 0.599 |
| 70/49 ग | 0.275 |
| 70/61 | 0.202 |

| | (1) | (2) |
|---|---|---|
| | 70/62 | 0.008 |
| | 127 | 0.053 |
| | 128 | 0.101 |
| | 129 | 0.182 |
| | 151/2 | 0.202 |
| | 151/4 | 0.101 |
| | 151/3 | 0.202 |
| | 70/59 | 0.243 |
| | 70/33 | 0.020 |
| | 131/1 | 0.307 |
| | 70/68 क | 0.202 |
| | 70/68 ख | 0.056 |
| योग | 38 | 8.657 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईन्स परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अलरमेलमंगई डी,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-भिलाई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.85 एकड़

| | खसरा नम्बर (1) | रकबा (एकड़ में) (2) |
|---|---|---|
| | 11/3 | 0.05 |
| | 226/1 | 0.31 |
| | 226/3 | 0.31 |
| | 75/1 | 0.18 |
| योग | 4 | 0.85 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बेलतरा से मोपका-खैरा-गतौरा जयरामनगर मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/वर्ष 2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-कुकदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.06 एकड़

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (एकड़ में) (2) |
|---|---|
| 497/2 | 0.27 |
| 577/1, 576/3 | 0.05 |
| 507/3 | 0.10 |
| 498/1 | 0.20 |
| 507/4 | 0.40 |
| 505 | 0.23 |
| 515/3 | 0.60 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 498/2 | 0.36 |
| 577/2, 576/4 | 0.05 |
| 507/1 | 0.05 |
| 511 | 0.55 |
| 512/1 | 0.05 |
| 512/3 | 0.09 |
| 512/2 | 0.09 |
| 514/1 | 0.27 |
| 513/1 | 0.03 |
| 585/2 | 0.26 |
| 585/3 | 0.14 |
| 583 | 0.39 |
| 580 | 0.31 |
| 579/1 | 0.05 |
| 579/2 | 0.05 |
| 585/1 | 0.27 |
| 586 | 0.20 |
| योग | 5.06 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लीलागर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत बछौद शाखा नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/वर्ष 2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-मस्तूरी
(ग) नगर/ग्राम-खुड़ूभाठा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.35 एकड़

| | खसरा नम्बर | रकबा (एकड़ में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 394/1 | 0.40 |
| | 394/2 | 0.22 |
| | 394/4 | 0.22 |
| | 399/1 | 0.08 |
| | 399/3 | 0.35 |
| | 399/2 | 0.35 |
| | 398/4 | 0.18 |
| | 398/6 | 0.25 |
| | 398/7 | 0.10 |
| | 375/5 | 0.20 |
| योग | 10 | 2.35 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पाराघाट फीडर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अन्बलगन पी,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

# विभाग प्रमुखों के आदेश

## कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 8 जून 2016

क्रमांक/169/अ.जि.द./एस.डब्लू./2016.—पुलिस अधीक्षक रायपुर ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 08-06-2016 में लेख किया है, कि छ.ग. मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 में प्रदत्त अधिकारों के तहत जयस्तंभ चौक के आसपास यातायात का सुगम एवं सुरक्षित संचालन हेतु निम्नलिखित मार्ग को दुकान की शटर से 05 फीट की दूरी पर एक रेखा के भीतर केवल ग्राहकों के दुपहिया वाहनों को छोड़कर शेष सभी प्रकार

के वाहनों के लिए नोपार्किंग जोन घोषित किये जाने हेतु अनुरोध किये हैं.

1. जयस्तंभ चौक से शारदा चौक तक
2. जयस्तंभ चौक से गणेशराम नगर गली तक
3. जयस्तंभ चौक से मौदहापारा थाना तक
4. जयस्तंभ चौक से बाम्बे मार्केट तिराहा तक

पुलिस अधीक्षक रायपुर के प्रतिवेदन पर विचार कर छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर जयस्तंभ चौक के आसपास यातायात के सुगम संचालन हेतु उपरांकित कंडिका 01 से 04 में उल्लेखित मार्ग में ग्राहकों के लिए दुकानों के सामने एक लाईन खीचकर लाईन के भीतर पार्किंग की सुविधा की शर्तो के साथ ग्राहकों के दुपहिया वाहनों को छोड़कर शेष सभी प्रकार के वाहनों के लिए नोपार्किंग जोन घोषित किया जाता है.

यह आदेश छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगा.

**ओ. पी. चौधरी,**
कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी.

---

## कार्यालय, छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी

### आर.डी.ए. काम्पलैक्स ब्लाक ई, एफ-ए प्रथम तल तहसील कार्यालय के सामने जी.ई.रोड, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 18 मई 2016

क्रमांक/70/छ.ग.उ.अ./स्था./2016-17.—छ.ग. शासन आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के अधिसूचना क्रमांक एफ-19-07/2016/25-2 दिनांक 06-05-2016 के तहत माननीय मो. अकरम कुरैशी, लखौली चौक राजनांदगांव को छ.ग. उर्दू अकादमी का अध्यक्ष, श्रीमती नजमा अजीम खान, सारंगढ़ जिला रायगढ़ को उपाध्यक्ष तथा श्री अब्दुल हफीज, श्री बद्रूजमा अंसारी, श्री अब्दुल वहीद खान, डॉ. मेहरूद्दीन मिर्जा, श्री शफीक अहमद (फुग्गा भाई), श्री हमीद अहमद शाह, श्री नूर मोहम्मद अरबी, श्री सैय्यद उसमान अली, श्री अहमद जकी रजा, श्री गुलाम नबी अंसारी, श्री नजरूद्दीन खोखर, श्री अब्दुल रहीम, श्री अख्तर अली, प्रो. डॉ. रिजवान उल्लाह कुरैशी, श्री सरफराज अहमद को सदस्य नियुक्त किया गया है. दिनांक 16-05-2016 को माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा छ.ग. उर्दू अकादमी में पदभार ग्रहण कर लिया गया है.

**एम. आर. खान**
सचिव.

---

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

## उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 16 मई 2016

क्रमांक 154/दो-3-38/2007.—श्री राम कुमार तिवारी, तत्कालीन द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दुर्ग वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 27-04-2016 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2013 से 31-10-2015 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
**रजनी दुबे,** रजिस्ट्रार जनरल.